रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 22, 2018/आश्विन 30, 1940
No. 392] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 22, 2018/ASVINA 30, 1940

**महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण**

**अधिसूचना**

मुंबई, 10 अक्तूबर, 2018

**सं. टीएएमपी/44/2018-वीपीटी.**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा विशाखापट्टनम पत्तन न्यास (वीपीटी) से अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण दिशानिर्देश 2008 के अंतर्गत अधिशासित बीओटी प्रचालक की बर्थ संख्या डब्ल्यूक्यू-6 पर ग्राही अर्थात् मैसर्ज वेस्ट क्वे मल्टीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यूक्यूएमपीएल) द्वारा प्रहस्त की जाने वाली अतिरिक्त 10 कार्गो मदों के लिए प्रहस्तन प्रभारों का अनुमोदन प्राप्त करने के प्रस्ताव का, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, निपटान करता है।

**महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण**
मामला संख्या. टीएएमपी/44/2018-वीपीटी

विशाखापट्टनम पत्तन न्यास ----- **आवेदक**

**गणपूर्ति**

(i). **श्री टी.एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)**

(ii). **श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)**

**आदेश**

**(अक्तूबर 2018 के 3सरे दिन पारित)**

यह मामला विशाखापट्टनम पत्तन न्यास (वीपीटी) के बर्थ संख्या डब्ल्यूक्यू-6 पर ग्राही अर्थात् मैसर्ज वेस्ट क्वे मल्टीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यूक्यूएमपीएल) द्वारा प्रहस्त की जाने वाली अतिरिक्त 10 कार्गो मदों के लिए प्रहस्तन प्रभारों का अनुमोदन प्राप्त करने के 19 सितम्बर, 2017 के प्रस्ताव से संबंधित है।

1.2. पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमएसआरटीएच) ने अपने 12 फरवरी, 2008 के पत्र संख्या पीआर-14019/25/2007-पीजी के द्वारा महापत्तनों पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क नियतन हेतु दिशानिर्देशों की घोषणा की थी। महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 111 के अंतर्गत एमएसआरटीएच से प्राप्त निदेशों के अनुसरण में इस प्राधिकरण ने 28 फरवरी, 2008 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या टीएएमपी/52/2007-विविध के द्वारा अपफ्रंट प्रशुल्क नियतन दिशानिर्देश अधिसूचित किये।

2.1. उक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में, इस प्राधिकरण ने अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के अंतर्गत वीपीटी स्थित बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ संख्या डब्ल्यूक्यू-6 के लिए 12 फरवरी 2009 के आदेश संख्या टीएएमपी/39/2008-वीपीटी के द्वारा अपफ्रंट प्रशुल्क का अनुमोदन किया था। उक्त अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश में प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के अनुसरण में वीपीटी स्थित उक्त सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना के लिए अपफ्रंट आधार पर बर्थ किराया प्रभार, प्रहस्तन प्रभार, भंडारण प्रभार और विविध प्रभारों के दरमानों का अनुमोदन किया था। अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश वीपीटी द्वारा तत्समय दायर प्रस्ताव के आधार पर निम्निलखित मदों के लिए कार्गो प्रहस्तन के लिए था।

(i). सीपी कोक

(ii). एलएएम कोक

(iii). इस्पात

(iv). ग्रेनाइट ब्लॉक

2.2. उक्त आदेश 25 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में राजपत्र संख्या 26 में अधिसूचित हुआ था।

2.3. 12 फरवरी, 2009 के उक्त आदेश के पैरा 11.1 के अनुसार उक्त आदेश में अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क पोत परिवहन मंत्रालय दिशानिर्देशद्वारा जारी अपफ्रंट प्रशुल्क (एमओएस)2008 के खंड 2.8 के अनुरूप डब्ल्यूपीआई के 60% पर स्वतवार्षिक सूचकांकन के : अधीन है

3.1. बीपीटी के 12 फरवरी, 2009 के आदेश संख्या टीएएमपी/39/2008-वीपीटी के अंतर्गत डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ के लिए इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्कों के आधार पर बोलियां आमंत्रित कीं और डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ को विकास के लिए वेस्ट क्वे मल्टीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यूक्यूएमपीएल) को सौंप दिया तथा उक्त सूचीबद्ध कार्गो के प्रहस्तन के लिए 30 वर्ष की अवधि हेतु वीपीटी पर डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर डब्ल्यूक्यूएमपीएल के साथ 31 जुलाई, 2010 को एक रियायत करार पर हस्ताक्षर किये ।

3.2. उक्त आदेश के पैरा 11.2 के अनुसार, प्रचालन आरंभ करने से पूर्व, डब्ल्यूक्यूएमपीएल ने अपने नाम से दरमानों की अधिसूचना के लिए इस प्राधिकरण से संपर्क किया। तदनुसार, कार्गो की 4 मदों के प्रहस्तन के लिए 4 सितंबर 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/49/2015-वीपीटी द्वारा डब्ल्यूक्यूएमपीएल के नाम से दरमान अधिसूचित किये गए।

4.1. वीपीटी ने 19 सितंबर, 2017 को डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ पर ही डब्ल्यूक्यूएमपीएल द्वारा कार्गो की 10 अतिरिक्त निम्नलिखित मदों के प्रहस्तन के लिए प्रशुल्क के अनुमोदन का एक प्रस्ताव दायर किया:

(i). पेट कोक

(ii). ग्रेनुलेटिड ब्लॉस्ट फर्नेस स्लैग

(iii). बोरा बंद फ्लाई एश।

(iv). एग्रीगंटस इन बल्क

(v). बोल्डर्स

(vi). जिप्सम

(vii). चूनापत्थर

(viii). बाक्साइट

(ix). मैंगनीज अयस्क

(x). उर्वरक (तैयार और कच्ची सामग्री)

4.2. वीपीटी द्वारा 19 सितंबर, 2017 के अपने प्रस्ताव में उठाये गए मुद्दों का सारांश निम्नवत् है:-

(i). डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ काफी न्यून उपयोग हो रहा है और 0.52 एमटी की न्यूनतम गारंटी कार्गो (एमजीसी) भी पूरा नहीं हो पाता। वर्ष 2015-16 में बर्थ की आकूपैसी महज़ 28 दिन थी और 1.27 लाख टन की मात्रा ही प्रहस्त की गई। वर्ष 2016-17 में टर्मिनल आकूपेशन 63 दिन का था और 4.13 लाख टन प्रहस्तन किया गया था।

(ii). बर्थ के उपयोग में सुधार के लिए, रियायत करार के दायरे के भीतर सभी संभावनाओं का अन्वेषण किया गया है। बोली-पूर्व स्तर पर ही, संभावित बोली दाताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के प्रत्युत्तर में वीपीटी ने उत्तर दिया था कि दर्शाये कार्गो की अनुपलब्धता होने पर, जिसकी संभावना नहीं है, पत्तन, इस बर्थ पर प्रहस्तित किये जाने वाले अन्य कार्गो की अनुमति देगा, बशर्ते प्राधिकरण उसे अनुमोदित करे।

बोली पूर्व चरण में बोली दाताओं द्वारा उठाया गया प्रश्न और वीपीटी द्वारा दिया गया उत्तर, जो रियायत करार का एक भाग है, निमनवत् है:

| क्र.सं. | वीपीटी द्वारा बोली पूर्व बैठक के दौरान संभावित बोली कर्ताओं द्वारा संगत प्रश्न/ टिप्पणियां व सुझाव | उस पर वीपीटी की अभियुक्ति |
|---|---|---|
| 15 | क्या डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ अन्य कार्गो प्रहस्त कर सकती है (सीपी कोक, लैम कोक, इस्पात और ग्रेनाइट ब्लॉकों से इतर)। | दर्शाये कार्गो की अनुपलब्धता होने पर, जिसकी संभावना नहीं है, पत्तन, इस बर्थ पर प्रहस्तित किये जाने वाले अन्य कार्गो की अनुमति देगा, बशर्ते प्राधिकरण उसे अनुमोदित करे। |

(iii). फलस्वरूप, वीपीटी ने, वीपीटी के बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, 8 नवंबर, 2016 के अपने पत्र के अंतर्गत ग्राही के अनुरोध पर अतिरिक्त कार्गो के प्रशुल्क निर्धारित का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

(iv). प्राधिकरण ने अपने 13 दिसंबर, 2016 के अपने पत्र में बताया कि बोली-पश्च चरण में, उस कार्गो को छोड़कर जिसके लिए पहले से ही अपफ्रंट आधार पर प्रशुल्क नियत किया गया है। किसी अन्य कार्गो के अपफ्रंट प्रशुलक का संशोधन या कवर करने का कोई स्कोप नहीं है।

(v). ग्राही द्वारा जारी 31 मार्च, 2017 की परामर्श सूचना के परिणामस्वरूप वीपीटी ने 10 अप्रैल, 2017 को डब्ल्यूक्यूएमपीएल के साथ बैठक की। बैठक के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ, अतिरिक्त कार्गो के बोली-पूर्व संबंधी उत्तर के सही अर्थ और तात्पर्य के बारे में विधिक सलाह लेने और अतिरिक्त कार्गो की प्रशुल्क संबंधी अधिसूचना के लिए प्राधिकरण से संपर्क करने का निर्णय लिया गया।

(vi). तदनुसार, वीपीटी ने मामले को बाह्य कानूनी सलाह के लिए भेजा। विविध परामर्शदाता ने वीपीटी को सलाह दी कि:-

**"बोली पूर्व बैठक में स्पष्टीकरण की विद्यमानता, जो रियायत करार का अभिन्न अंग है, संकेत करता है कि प्राधिकरण को किया गया अनुरोध बोली-पश्च आशोधन के समान नहीं है और कानून के अनुसार इसमें शामिल संविदा पक्षों द्वारा आरंभ की गई एक न्यायसंगत वाणिज्यक कार्रवाई है।"**

[वीपीटी ने श्री पी श्रीराम, वीपीटी के स्थायी वकील के विधिक परामर्श की एक प्रति भी भेजी है।]

(vii). वीपीटी ने बताया है कि बोली दाताओं के पास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अपफ्रंट प्रशुल्क सहित बोली प्रतिमानों की पहले से जानकारी थी। संभावित बोली दाताओं द्वारा आरएफपी चरण में, उठाये गए सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिये गए। इसलिए, अतिरिक्त कार्गो पर विचार करना बाली पश्न नहीं समझा जाना चाहिए।

(viii). डब्ल्यूक्यूएमपीएल ने अपने 5 जुलाई 2017 के पत्र के द्वारा वीपीटी को अपील की कि वह अतिरिक्त कार्गो के प्रशुल्क निर्धारण के लिए प्राधिकरण से अनुरोध करे।

(ix). डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ के अत्यधिक न्यून उपयोग को और मैसर्ज डब्ल्यूक्यूएमपीएल द्वारा किये गए अनुरोध को ध्यान में रखकर, वीपीटी ने नॉन-एक्सक्लुसिव आधार पर अतिरिक्त कार्गो प्रहस्त करने के लिए डब्ल्यूक्यूएमपीएल की अपील पर विचार करने का प्रस्ताव किया। **यदि नामित/निर्दिष्ट कार्गो भविष्य में बढ़ जाता है और टर्मिनल अपनी संकल्पित क्षमता प्राप्त कर लेता है तो डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ पर अतिरिक्त कार्गो प्रहस्तित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी**।

(x). पत्तन ने उसी स्तर पर डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ की पुन: मूल्यांकित क्षमता अर्थात् 2087435 टन (20.87 लाख टन, फरवरी 2009 के आदेश में यथा मूल्यांकित) बतायी है। 12 फरवरी 2009 के आदेश में निर्धारित क्षमता और वीपीटी द्वारा अनुमत अतिरिक्त कार्गो को जोड़े जाने के पश्चात् पुन: मूल्यांकित क्षमता, जिसे डब्ल्यूकयूएमपीएल प्रहस्त करेगा, निम्नवत है:

क. प्राधिकरण के 12 फरवरी, 2009 के आदेश संख्या टीएएमपी/39/2008-वीपीटी में यथानिर्धारित डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ की क्षमता।

| कार्गो | % हिस्सा | प्रहस्तन दर (टन/दिन) |
|---|---|---|
| शुल्क बल्क कार्गो: | | |
| (i). सीपी कोक | 36% (एस1) | 10000 (पी1) |
| (ii). लैम कोक | 36% (एस2) | 10000 (पी2) |
| ब्रेक बल्क कार्गो: | | |
| (i). इस्पात | 18% (एस3) | 4000 (पी3) |
| (ii). ग्रेनाइट ब्लॉक | 10% (एस4) | 2500 (पी4) |

इष्टतम क्षमता टन में = 0.7*((एस1*पी1)+(एस2*पी2)+(एस3*पी3)+(एस4*पी4))*365
=0.7*{(36%*10000)+(36%*10000)+(18%*4000)+(10%*2500)}*365=2,087,435

ख. रोमन नंबरों में दी गई 10 अतिरिक्त कार्गो मदों पर वर्तमान प्रस्ताव में सुविचार के पश्चात् वीपीटी द्वारा पुन: मूल्यांकित क्षमता

| कार्गो | % हिस्सा | प्रहस्तन दर (टन/दिन) |
|---|---|---|
| शुष्क बल्क कार्गो:<br>1 सीपी कोक,<br>2. लैम कोक<br>और अतिरिक्त कार्गो अर्थात् (i).पेट कोक<br>(ii). ग्रेनुलेटिड ब्लॉस्ट फर्नेस स्लैग, (iii). एग्रीगंटस इन बल्क, (iv). बोल्डर्स, (v). जिप्सम, (vi). चूनापत्थर, (vii). बाक्साइट, (viii). मैंगनीज अयस्क, (ix) उर्वरक (तैयार और कच्ची सामग्री) | 72%<br>(एस1) | 10000<br>(पी1) |
| ब्रेक बल्क कार्गो:<br>3. इस्पात<br>अतिरिक्त कार्गो अर्थात् . (x) फ्लाई एश बैग | 18%<br>(एस2) | 4000 (पी2) |
| 4. ग्रेनाइट ब्लॉक | 10%<br>(एस3) | 2500 (पी3) |

इष्टतम क्षमता टन में = 0.7*((एस1*पी1)+(एस2*पी2)+(एस3*पी3))*365
= 0.7*{(72%*10000)+(18%*4000)+(10%*2500)}*365 = 2087435

प्रहस्तन के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त कार्गो मदों अर्थात् पेट कोक, ग्रेनुलेटिड ब्लॉस्ट फर्नेस स्लैग, एग्रीगंटस इन बल्क, बोल्डर्स, जिप्सम, चूनापत्थर, बाक्साइट, मैंगनीज अयस्क, उर्वरक (तैयार और कच्ची सामग्री) को बर्थ की उपयोगिता में सुधार लाने और परियोजना को व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से, नॉन-एक्सक्लूसिव आधार पर अनुमत किया गया है।

महापत्तन न्यास स्थित पीपीपी परियोजनाओं के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के अनुलग्नक-V में निर्दिष्ट उत्पादन दर को ध्यान में रखते हुए सभी शुष्क बल्क कार्गो को एक श्रेणी में रखा गया है और फ्लाई एश बैगों को स्टील के साथ जोड़ा गया है।

(xi). वीपीटी ने प्रहस्तन कार्यकलाप से कुल आकलित एआरआर को फरवरी, 2009 के आदेश के अनुसार ही 2570.50 लाख रुपए ही बनाए रखा है। पत्तन ने उसी आकलित एआरआर के लिए फरवरी 2009 आदेश में अपनायी गई प्रणाली का अनुपालन करते हुए 10 अतिरिक्त कार्गो को जोड़ते हुए प्रहस्तन दरों की गणना भी प्रस्तुत की है।

(xii). 10 अतिरिक्त कार्गो मदों पर सुविचार करते हुए वीपीटी द्वारा प्रस्तावित संशोधित प्रहस्तन प्रभार इस प्रकार है:

| क्र.सं. | वस्तु | इकाई | दर रुपये में | |
|---|---|---|---|---|
| | | | विदेशी | तटीय |
| (क). | सीपी कोक, एलएएम कोक | प्रति मीट्रिक टन | 78.50 | 47.10 |
| (ख). | अतिरिक्त कार्गो अर्थात्, | | | |
| (i). | पेट कोक, | | | |
| (ii). | ग्रेनुलेटिड ब्लॉस्ट फर्नेस स्लैग, एग्रीगंटस | | | |
| (iii). | इन बल्क, | | | |
| (iv). | बोल्डर्स, | | | |
| (v). | जिप्सम, | | | |
| (vi). | चूनापत्थर, | | | |
| (vii). | बाक्साइट, | | | |
| (viii). | मैंगनीज अयस्क, | | | |
| (ix). | उर्वरक (तैयार और कच्ची सामग्री) | | | |
| (ग). | अतिरिक्त शुष्क बल्क कार्गो | प्रति मीट्रिक टन | 202.30 | 121.40 |
| (i). | अर्थात् फ्लाई एश बैग | | | |
| (घ). | ग्रेनाइट | प्रति मीट्रिक टन | 312.55 | 187.55 |

(xiii). वीपीटी ने बताया है कि डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ के लिए अधिसूचित भंडारण प्रभारों पर पुनर्विचार जरूरी हो जाता है क्योंकि अपनायी गई प्रणाली वीपीटी की दो अन्य परियोजनाओं से अर्थात् विज़ाग ज़नरल कार्गो बर्थ (वीजीसीबी) और पत्तन पर ईक्यू-1 के लिए निकाले गए अपफ्रंट प्रशुल्क भिन्न है, जिसके परिणामस्वरूप डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ की अधिसूचित दरें अधिक हैं। एक ही पत्तन के भीतर अन्य टर्मिनलों की तुलना में डब्ल्यूकयू-6 के भंडारण प्रभार अधिक होना अनुचित पाया गया जो प्रासमिक प्रशुल्क के बुनियादी सिद्धांत के विफल तो करता ही है साथ ही टर्मिनल को आद्योपांत प्रभावित करता है।

डब्ल्यूक्यू-6 के लिए अपनायी गई प्रणाली इस प्रकार है:-

<u>प्रतिमान</u>:

क्षमता : 2.08 एमटीपीए, निशुल्क अवधि : आयात : 5 दिन, निर्यात : 15 दिन

भंडारण के लिए संकल्पित कार्गो: 30%

परिकलन:

भंडारण आकर्षित करने वाले कार्गो की मात्रा=2.08 एमटी * 30%=6.24 लाख टन

भंडारण से आकलित एआरआर= ₹ 54 लाख रुपए

भंडारण प्रभार= ₹ 54/ 6.24 = ₹8.60

टिप्पणी:

(क). 8.60 रुपए की उक्त दर की व्याख्या नि:शुल्क अवधि के पश्चात् पहले सप्ताह के लिए दर प्रति दिन प्रति टन के रूप में की गई है।

(ख). तथापि, चूंकि दर प्रथम सप्ताह के लिए है, इसे नि:शुल्क अवधि के पश्चात् प्रथम सप्ताह के लिए 8.60/7 = ₹ 1.23 रुपए प्रति टन प्रति दिन माना जाना चाहिए। वीजीसीबी और ईक्यू-1 बर्थों के लिए इसी प्रकार की गणना की गई है।

इसलिए वीपीटी को उक्त के अनुसार डब्ल्यूक्यू-6 के संबंध में भंडारण प्रभारों की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया और भंडारण प्रभारों की निम्नलिखित दरें अधिसूचित करे:

भंडारण प्रभार:

नि:शुल्क अवधि

निर्यात : 15 दिन

आयात : 5 दिन

| क्र.सं. | अवधि | प्रति टन प्रति दिन या उसका भाग (रु. में) |
|---|---|---|
| 1. | नि:शुल्क अवधि के पश्चात् प्रथम सप्ताह | 1.23 |
| 2. | नि:शुल्क अवधि के पश्चात् दूसरा सप्ताह | 2.46 |
| 3. | दूसरे सप्ताह के पश्चात् | 4.92 |

(xiv). वीपीटी ने बताया है कि इस मामले को बोर्ड की आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा। प्राधिकरण से अनुरोध है कि वह डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ पर प्रहस्तित किये जाने वाले अतिरिक्त कार्गो के लिए नॉन-एक्सक्लूसिव आधार पर प्रशुल्क को अधिसूचित करे।

5. उक्त स्थिति बताते हुए, वीपीटी ने डब्ल्यूकयू-6 बर्थ पर नॉन- एक्सक्लूसिव आधार पर प्रहस्तित किये जाने वाले अतिरिक्त कार्गो के लिए प्रहस्तित प्रभारों के लिए प्रहस्तन प्रभारों और भंडारण प्रभारों के निर्धारण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। वीपीटी ने आगे और बताया है कि उसने प्रस्ताव बनाते समय प्राधिकरण द्वारा सुविचारित प्रतिमानों का कठोरता से अनुपालन किया है अर्थात् (i) टर्मिनल की 20.87 लाख टन की इष्टतम क्षमता फरवरी, 2009 के आदेश में याथा आकलित (ii) प्रहस्तन प्रभारों के प्रति राजस्व अपेक्षा का 2570.59 लाख रुपए का आकलन फरवरी, 2009 के आदेश में याथा आकलित और (iii) भंडारण प्रभारों के प्रति राजस्व अपेक्षा उक्त् आदेश में याथा आकलित। वीपीटी ने यह भी निवेदन किया है कि अतिरिक्त 10 कार्गो मदों के प्रशुल्क की अधिसूचना से डब्ल्यूकयू-6 बर्थ का इष्टतम उपयोग हो सकेगा, पत्तन के कार्गो और राजस्व में आद्योपांत वृद्धि होगी।

6.1. संक्षेप में, इस प्राधिकरण द्वारा अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के अनुपालन में वीपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव के आधार पर, 12 फरवरी, 2009 के प्रशुल्क आदेश में चार कार्गो मदों के लिए अनुमोदित प्रहस्तन प्रभारों और 19 सितम्बर, 2017 के प्रस्ताव में वीपीटी द्वारा अब प्रस्तावित प्रहस्तन प्रभारों, 10 अतिरिक्त कार्गो मदों के प्रहस्तन प्रभारों सहित, को तुलना के लिए नीचे सारणीबद्ध किया जाता है:-

| **12 फरवरी 2009 के प्रशुल्क आदेश के अनुसार** | | | | | **वीपीटी के 19 सितंबर 2017 के प्रस्ताव के अनुसार** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **इष्टतम क्षमता :** 20.87 लाख टन | | | | | **इष्टतम क्षमता :** 20.87 लाख टन | | | | |
| **प्रहस्तन कार्यकलाप से वार्षिक राजस्व प्रतिफल :** ₹ 2570.59 लाख रुपए | | | | | **प्रहस्तन कार्यकलाप से वार्षिक राजस्व प्रतिफल :** ₹ 2570.59 लाख रुपए | | | | |
| **अनुसूची-3 दरमानों में कार्गो प्रहस्तन प्रभार** | | | | | **अनुसूची-3 दरमानों में कार्गो प्रहस्तन प्रभार** | | | | |
| क्र.सं. | वस्तु | इकाई | दर रुपए में | | क्र.सं. | वस्तु | इकाई | दर रुपए में | |
| | | | विदेशी | तटीय | | | | विदेशी | तटीय |
| (क). | सीपी कोक | प्रति मीट्रिक टन | 78.50 | 47.10 | (क). | सीपी कोक , लैम कोक. | प्रति मीट्रिक टन | 78.50 | 47.10 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ख). | लैम कोक | प्रति मीट्रिक टन | 78.50 | 47.10 | (ख).<br>(i).<br>(ii).<br>(iii).<br>(iv).<br>(v).<br>(vi).<br>(vii).<br>(viii).<br>(ix). | अतिरिक्त कार्गो अर्थात् पेट कोक,<br>ग्रेनुलेटिड ब्लॉस्ट फर्नेस स्लैग,<br>एग्रीगंटस इन बल्क,<br>बोल्डर्स,<br>जिप्सम,<br>चूनापत्थर,<br>बाक्साइट,<br>मैंगनीज अयस्क,<br>उर्वरक (तैयार और कच्ची सामग्री) | | | |
| (ग). | इस्पात | प्रति मीट्रिक टन | 202.30 | 121.40 | (ग).<br>(i). | इस्पात व अतिरिक्त कार्गो अर्थात् फ्लाई एश बैग | प्रति मीट्रिक टन | 202.30 | 121.40 |
| (घ). | ग्रेनाइट ब्लॉक | प्रति मीट्रिक टन | 312.55 | 187.55 | (घ). | ग्रेनाइट | प्रति मीट्रिक टन | 312.55 | 187.55 |

जैसा ऊपर से देखा जा सकता है, डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ की प्रहस्तन प्रभारों से इष्टतम क्षमता, वार्षिक राजस्व अपेक्षा और कार्गो मदों का प्रशुल्क बनाये रखा गया है। तथापि, वीपीटी ने 19 सितंबर 2017 के प्रस्ताव में कार्गो मदों को बढ़ा दिया है।

6.2. जैसा पहले बताया गया है, प्रचालन आरंभ करने से पूर्व, डब्ल्यूक्यूएमपीएल ने दरमानों की अपने नाम से अधिसूचना के लिए इस प्राधिकरण से संपर्क किया था। तदनुसार, दरमान डब्ल्यूक्यूएमपीएल के नाम से 4 सितंबर, 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/49/2015-वीपीटी के द्वारा सूचकांकन कारक को कैप्चर करते हुए अधिसूचित किये गए थे और 4 सितंबर 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/49/2015-वीपीटी में डब्ल्यूक्यूएमपीएल के नाम में अधिसूचित सूचकांकित दरमानों में 4 कार्गो मदों के लिए निर्धारित प्रहस्तन प्रभार इस प्रकार हैं:

**अनुसूची - 3 कार्गो प्रहस्तन प्रभार**

| क्र.सं. | वस्तु | इकाई | दर रुपए में | |
|---|---|---|---|---|
| | | | विदेशी | तटीय |
| (क). | सीपी कोक | प्रति मीट्रिक टन | 106.04 | 63.62 |
| (ख). | लैम कोक | प्रति मीट्रिक टन | 106.04 | 63.62 |
| (ग). | इस्पात | प्रति मीट्रिक टन | 273.27 | 163.96 |
| (घ). | ग्रेनाइट ब्लॉक | प्रति मीट्रिक टन | 422.19 | 253.32 |

टिप्पणियां: ऊपर प्रहस्तन प्रभार (i) नौभरण और भंडारण के बिंदु तक उसके स्थानांतरण सहित पोत से कार्गो की उतराई, 5 दिनों की नि:शुल्क अवधि तक स्टेकयार्ड में भंडारण और आघात कार्गो के मामले में ट्रकों पर लदाई और (ii) स्टेकयार्ड पर ट्रकों से कार्गो की उतराई 15 दिनों की अवधि तक स्टेकयार्ड में भंडारण, लदाई बिंदु पर कार्गो स्थानांतरण और नौभरण सहित जलयान पर लदाई के लिए एक समेकित प्रभार है। इन समेकित प्रभार में घाटशुल्क ओर श्रम का आपूर्ति जहां जरूरी हो, और दरमानों के विशिष्ट रूप से निर्धारित किए गए सभी अन्य विविध प्रभार शामिल है।

7.1. वीपीटी ने भंडारण प्रभारों की समीक्षा का प्रस्ताव भी किया है। 12 फरवरी, 2009 के अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश में अनुमोदित भंडारण प्रभार और 19 सितंबर, 2017 के प्रस्ताव में प्रस्तावित संशोधित भंडारण प्रभारों की तुलना के लिए के लिए नीचे सारणीबद्ध किया जाता है:-

<table>
<tr><th colspan="3">12 फरवरी 2009 के प्रशुल्क आदेश के अनुसार भंडारण प्रभार</th><th colspan="3">19 सितंबर, 2017 के वीपीटी के प्रस्ताव के अनुसार भंडारण प्रभार</th></tr>
<tr><td rowspan="3">(क).</td><td colspan="2">नि:शुल्क अवधि:</td><td rowspan="3">(क).</td><td colspan="2">नि:शुल्क अवधि:</td></tr>
<tr><td>आयात कार्गो</td><td>5 दिन नि:शुल्क</td><td>निर्यात कार्गो</td><td>15 दिन</td></tr>
<tr><td>निर्यात कार्गो</td><td>15 दिन नि:शुल्क</td><td>आयात कार्गो</td><td>5 दिन</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(ख).</td><td colspan="2">नि:शुल्क अधिक के पश्चात् भंडारण प्रभार (प्रति टन/प्रति दिन)</td><td rowspan="4">(ख).</td><td colspan="2">नि:शुल्क अधिक के पश्चात् भंडारण प्रभार (प्रति टन/प्रति दिन)</td></tr>
<tr><td>विवरण</td><td>दर रुपए में प्रति टन/ प्रति दिन</td><td>विवरण</td><td>दर रुपए में प्रति टन/ प्रति दिन</td></tr>
<tr><td>नि:शुल्क अवधि के पश्चात् प्रथम सप्ताह</td><td>8.60 रुपए</td><td>नि:शुल्क अवधि के पश्चात् प्रथम सप्ताह</td><td>1.23</td></tr>
<tr><td>नि:शुल्क अवधि के पश्चात् दूसरा सप्ताह</td><td>12.90 रुपए</td><td>नि:शुल्क अवधि के पश्चात् दूसरा सप्ताह</td><td>2.46</td></tr>
<tr><td></td><td>दूसरे सप्ताह के पश्चात्</td><td>17.20 रुपए</td><td></td><td>दूसरे सप्ताह के पश्चात्</td><td>4.92</td></tr>
</table>

7.2. जहां तक भंडारण प्रभारों में प्रस्तावित आशोधनों का संबंध है, जैसा ऊपर सारणी में बताया गया है, यहां यह उल्लेख करना सभीचीन होगा कि, डब्ल्यूक्यूएमपीएल ने 12 फरवरी 2009 के अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश में निर्धारित भंडारण प्रभारों (बर्थ किराया प्रभारों के अतिरिक्त) को तेलंगाना राज्य और आंध्रप्रदेश राज्य के माननीय हैदराबाद उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी कि प्राधिकरण ने डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ के लिए वीपीटी हेतु निर्धारित कम प्रभारों की तुलना में गलती से अधिक भंडारण प्रभार निर्धारित किये हैं और 2017 की रिट याचिका संख्या 28595 में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भंडारण प्रभारों (और बर्थ किराया प्रभारों) को रद्द करने का तथा प्राधिकरण को नए भंडारण प्रभार (और बर्थ किराया प्रभार) प्रशुल्क निर्धारण करने का निदेश देने का अनुरोध किया है।

7.3. माननीय उच्च न्यायालय ने अपने 14 दिसंबर 2017 के आदेश में इस प्राधिकरण को याचिकाकर्ता अर्थात् डब्ल्यूक्यूएमपीएल तथा वीपीटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सुविचार करने का निदेश देते हुए डब्ल्यूक्यूएमपीएल के 16 जून 2017 तथा 30 जून 2017 के अभ्यावेदनों का निपटान कर दिया।

7.4. 2017 की रिट याचिका संख्या 28595 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, इस प्राधिकरण ने 18 मई, 2018 को आदेश संख्या टीएएमपी/85/2017-वीपीटी पारित कर डब्ल्यूक्यूएमपीएल के 16 जून, 2017 और 30 जून 2017 के अभ्यावेदनों का निपटान, डब्ल्यूक्यूएमपीएल और वीपीटी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् किया।

7.5. उक्त आदेश भारत के राजपत्र में 12 जून, 2018 को राजपत्र 226 में अधिसूचित किया गया। प्राधिकरण ने वीपीटी और डब्ल्यूक्यूएमपीएल को उक्त आदेश संबंधी जानकारी दी। हमने अपने अभिलेख अधिवक्ता को भी स्थिति सूचित की तथा अनुरोध किया कि वह तेलंगाना और आंद्र प्रदेश राज्य के हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय को स्थिति से अवगत करायें।.

7.6. इस प्राधिकरण द्वारा 18 मई, 2018 को पारित उक्त आदेश में प्राधिकरण ने भंडारण प्रभारों का निम्नवत् संशोधन किया:

(i). अनुसूची 4-ख- भंडारण प्रभार प्रति टन/ दिन के अंतर्गत 12 फरवरी 2009 के आदेश संख्या टीएएमपी/ 39/2018-वीपीटी में बहुउद्देशीय बर्थ की अपफ्रंट प्रशुल्क अनुसूची में अनुमोदित भंडारण प्रभार निम्नवत् संशोधित किये जाते हैं:

| विवरण | दर रुपए में प्रति टन/प्रति दिर |
|---|---|
| नि:शुल्क अवधि के पश्चात् प्रथम सप्ताह | ₹ 1.24 |
| नि:शुल्क अवधि के पश्चात् दूसरा सप्ताह | ₹ 1.86 |
| दूसरे सप्ताह के पश्चात् | ₹ 2.48 |

(ii). डब्ल्यूक्यूएमपीएल के नाम में 4 सितंबर, 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/49/2015-वीपीटी में अधिसूचित दरमानों में अनुसूची संख्या 4 ख- भंडारण प्रभार प्रति टन प्रति दिन के अंतर्गत भंडारण प्रभार निम्नवत् आशोधित किये जाते है:

| विवरण | दर रुपए में प्रति टन/प्रति दिर |
|---|---|
| नि:शुल्क अवधि के पश्चात् प्रथम सप्ताह | ₹ 1.67 |
| नि:शुल्क अवधि के पश्चात् दूसरा सप्ताह | ₹ 2.51 |
| दूसरे सप्ताह के पश्चात् | ₹ 3.34 |

7.7. संक्षेप मे, वीपीटी के प्रस्ताव की )i) 10 अतिरिक्त मदों को शामिल करने में संशोधित प्रहस्तन प्रभार और )ii) भंडारण प्रभारों की समीक्षा की दो मदों में से प्रस्ताव के दूसरे भाग का निपटान डब्ल्यूक्यूएमपीएल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 2017 की 28595 में पारित आदेश के अनुपालन में 18 मई, 2018 के आदेश संख्या टीएएमपी/85/2017-वीपीटी के द्वारा पहले ही कर दिया गया है।

7.8. इस प्रकार, इस प्राधिकरण के समक्ष पहले के पैराओं में चर्चा किये गए अनुसार अतिरिक्त 10 कार्गो मदों के प्रहस्तन प्रभार के अनुमोदन तक सीमित है।

8.1. अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारित दिशानिर्देश 2008 बोली पश्च परिदृश्य में, परियोजना के चलते हुए अपफ्रंट प्रशुल्क की समीक्षा का अधिकार नहीं देते हैं। चूंकि परियोजना के चलते रहने के दौरान प्रशुल्क अथवा कार्गो प्रोफाइल की समीक्षा के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 में समीक्षा खंड के अभव में, और डब्ल्यूक्यूएमपीएल को नॉन-एक्सक्लूसिव आधार पर, कार्गो की 10 अतिरिक्त मदों को प्रहस्त करने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है और चार कार्गो मदों के लिए इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरों पर प्रशुल्क की उगाही करने तथा भविष्य में इन नामित/निर्दिष्ट चार कार्गो मदों के बढ़ जाने पर टर्मिनल के संकल्पित क्षमता तक पहुंचने पर अनुमति को वापस लेने का प्रस्ताव किया है, हमने 1 नवंबर 2017 के अपने पत्र के द्वारा पोत परिवहन मंत्रालय को मामले का परीक्षण करके हमें वीपीटी के प्रस्ताव पर सुविचार करने संबंधी निर्देश देने का अनुरोध किया।

8.2. वीपीटी ने भी अपने 4 दिसंबर 2017 के ई-मेल द्वारा एमओएस को वीपीटी के 19 सितंबर, 2019 के प्रस्ताव में प्रस्तावित अतिरिक्त कार्गो मदों के लिए प्रशुल्क अधिसूचिना जारी करने के लिए इस प्राधिकरण को निदेश देने का अनुरोध किया।

8.3. इस संबंध में, एमओएस ने 21 मई 2018 के अपने पत्र संख्या आईडब्ल्यूटी-11/33/2018-डीडी(डीडब्ल्यू) के द्वारा इस प्राधिकरण को निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया:

*" वीपीटी द्वारा बोली-पूर्व बैठक में प्रदान किया गया स्पष्टीकरण रियायत करार का अभिन्न अंग हैं और अतिरिक्त कार्गो के लिए दरों का निर्धारण रियायत करार का। इसलिए, प्राधिकरण की टिप्पणी कि यह बोली-पश्च संशोधन है, सारभूत नहीं है। तदनुसार, प्राधिकरण से वीपीटी के प्रस्ताव पर बोली पूर्व बैठक में दिये गए स्पष्टीकरण और रियायत करार के अनुसार आगामी आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।"*

9.1. वीपीटी ने अपने 23 अगस्त, 2016 के पत्र संख्या आईआरएनपी/एसटीडीएस/पीपीपी- जीएल/2016/113 के द्वारा 31 जुलाई 2016 को वीपीटी और डब्ल्यूक्यूएमपीएल के बीच हुए रियायत करार की एक प्रति भेजी थी। उक्त लाइसेंस करार के अनुच्छेद- 1 के अंतर्गत खंड 1.3 – व्याख्या से संबंधित उद्धरण नीचे पुनरूद्धरित किया जा रहा है:-

"1.3. व्याख्या

***" यह करार परियोजना के संबंध में पक्षों के बीच पूर्ण समझदारी का गठन करता है, और परियोजना के बारे में पूर्व के सभी लिखित और/अथवा मौखिक अभ्यावेदनों और/अथवा व्यवस्थाओं का अधिक्रमण करता है। यदि परियोजना का कोई पहलू इस करार के किन्हीं उपबंधों के अंतर्गत नहीं आता तो, केवल उसी स्थिति में, पक्षों द्वारा रियायत प्राधिकारी द्वारा जारी बोली दस्तावेज़ों अन्य के साथ-साथ आरएफपी और आरएफक्यू दस्तावेज़ों सहित और अनुशेषों, बोलीपूर्व बैठक में दिये गए लिखित स्पष्टीकरणों और ग्राही द्वारा किये गए निवेदनों और ग्राही द्वारा प्रस्तुत बोली दस्तावेज़ों का संदर्भ लिया जायेगा परंतु अन्यथा नहीं। इस करार के निबंधनों के बारे में और ऐसे अन्य बोली दस्तावेज़ों में परस्पर विरोध होने पर यथोपरि, इस करार के अनुबंध अभिभावी होंगे।"***

9.2. यहां यह जान लेना उचित होगा कि रियायत करार के उक्त खंड में वीपीटी द्वारा मंगवाये गए बोली दस्तावेज़ और वीपीटी द्वारा जारी बोली दस्तावेज़ों को अनुरोध और संशोधन और अन्य मदों में वीपीटी द्वारा अल्पसूचीबद्ध किये गए बोलीदाताओं के प्रश्नों पर दिये गए स्पष्टीकरण देते हुए कथन अल्प सूचीबद्ध बोलीदाताओं को वीपीटी द्वारा 19/20 अक्तूबर 2009 को जारी पत्र संख्या आईईएनजी/ई-ई/परियोजनाएं/डब्ल्यूक्यू-6/भाग-VIII/262 की प्रति भी शामिल है। संभावित बोलीदाताओं द्वारा उठाये गए प्रश्न और वीपीओ के 19/20 अक्तूबर 2009 के पत्र के कथित विवरण में संभावित बोलीदाता एबीजी इंफ्रालॉजिस्टिक्स लिमिटेड एट बी कमर्शियल क्रम संख्या 15 को वीपीटी द्वारा जारी स्पष्टीकरण नीचे पुनरुद्धरित किया जा रहा है:-

वाणिज्यक:

| क्र.सं. | पृष्ठ संख्या | खंड संख्या | खंड की विषय वस्तु | संगत कारणों/अभियुक्तियों के साथ प्रश्न/टिप्पणियां/ तथा सुझाव | वीपीटी की अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | | | क्या डब्लयू क्यू-6 बर्थ अन्य कार्गो भी प्रहस्त कर सकेगा (सीपी कोक, लैम कोक, इस्पात और ग्रेनाइट ब्लॉक के अतिरिक्त) | संकेतित कार्गो की अनुपलब्धता होने पर जिसकी संभावना नहीं है, पत्तन अन्य कार्गो की अनुमति प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन देगा, जिसे इस बर्थ पर प्रहस्त किया जा सकेगा। |

**10.** **21** मई**, 2018** के फैक्स से प्राप्त एमओएस से प्राप्त स्पष्टीकरण को देखते हुए**,** जैसा पहले के पैराओं में चर्चा की गई है**,** मामले के संसाधन पर सुविचार किया जाता है।

11.1. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, वीपीटी के 19 सितम्बर, 2017 के प्रस्ताव की एक प्रति डब्ल्यूक्यूएमपीएल और प्रयोक्ताओं/संभावित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता निकायों (जैसा फाइल संख्या टीएएमपी/39/2008-वीपीटी में परामर्श किया गया था) को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए परिचालित की गई थी। हमे केवल मैसर्ज के रामब्रहमन एंड संस प्राइवेट लिमिटेड से ही टिप्पणियां प्राप्त हुईं जिसे फीडबैक सूचना के रूप में वीपीटी को भेजा गया। वीपीटी ने 14 जून, 2018 के ई-मेज द्वारा उत्तर दिया।

**11.2.** **18** जून**, 2018** को वीपीटी के परिसर में मामले की संयुक्त सुनवाई हुई। संयुक्त सुनवाई में**,** वीपीटी और संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों ने अपने-अपने निवेदन रखे।

12.1. जैसा संयुक्त सुनवाई में सहमति बनी विजाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वीएसपीएल) ने 20 जून, 2018 के पत्र के द्वारा अपनी टिप्पणियां भेजीं।

12.2. संयुक्त सुनवाई में सहमति के अनुसार, वीपीटी के हमारे 26 जून, 2018 और 11 जुलाई, 2018 के अनुस्मारक पर निम्नलिखित मुद्दों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया:

(i) 10 अतिरिक्त कार्गो मदों की प्रहस्तन दर के अनुमोदन संबंधी बोर्ड के संकल्प की प्रति भेजें, जैसे संयुक्त सुनवाई में वीपीटी ने स्वीकार किया है।

(ii) जैसा संयुक्त सुनवाई में स्वीकार किया गया था, वीएसपीएल ने 20 जून, 2018 को विषयक प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की। वीएसपीएल से प्राप्त टिप्पणियों की एक प्रति वीपीटी को उस पर पैरा-वार टिप्पणी के लिए भेजी गई।

13. ऊपर कार्रवाई बिंदु 12.2 (ii) के संदर्भ में वीपीटी ने 23 अगस्त, 2013 के अपने ई-मेल के द्वारा वीएसपीएल की टिप्पणियों का उत्तर भेजा।

14.1. इसके अतिरिक्त, इंडियन प्राइवेट पोर्टस एंड टर्मिनल एसोसिएशन (आईपीपीटीए), निजी टर्मिनल प्रचालकों का एक छत्र संगठन, ने वीपीटी द्वारा दायर विषयक प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियां 27 जून, 2018 के पत्र के द्वारा भेजी। आईपीपीटीए के 27 जून, 2018 के पत्र की प्रति वीपीटी को इस अनुरोध के साथ भेजी कि आईपीपीटीए द्वारा उठाये गए बिंदुओं पर मुद्दा-वार टिप्पणियां भेजीं।

14.2. प्रत्युत्तर में, वीपीटी ने अपने 23 अगस्त, 2018 के ई-मेल द्वारा अपनी टिप्पणियां भेजी/ आईपीपीटीए ने वीएसपीएल द्वारा 20 जून, 2018 को उठाये गए मुद्दों को ही दोहराया है। वीपीटी ने भी आईपीपीटीए की टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणियां भेजते समय अपने 23 अगस्त, 2018 को वीएसपीएल की टिप्पणियों पर दिये गए उत्तर को दोहरा भर दिया है।

15.1. ऊपर कार्रवाई बिंदु संख्या 12.2 (i) के कार्रवाई बिंदु के संदर्भ में, वीपीटी ने 28 अगस्त, 2018 के अपने ई-मेल के द्वारा वीपीटी के न्यासी मंडल द्वारा 10 अतिरिक्त कार्गो मदों के डब्ल्यूक्यूएमपीएल द्वारा प्रहस्तन के अनुमोदन संबंधी बोर्ड का संकल्प भेजा है। वीपीटी के न्यासी मंडल के अनुमोदन के विषयक प्रस्ताव के संदर्भ में संगत भाग, को नीचे पुनरूद्धरित किया जा रहा है:—

(i) न्यासियों के वीपीटी बोर्ड की दिनांक 06 नवंबर, 2015 को हुई बैठक में संकल्प संख्या 180/2015-16 के तहत निम्नलिखित को अनुमोदित किया गया:

(क) डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ पर पैट कोक प्रहस्तन की भी अनुमति दी जाए और पैट कोक पर प्रभार अंतरिम रूप से लैम कोक समान ही चार्ड किये जाएं और ग्राही मैसर्ज वेस्ट क्वे मल्टीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रशुल्क निर्धारित का प्रस्ताव प्राधिकरण को भेजा जाए।

(ख) पैट कोक सहित डब्ल्यूक्यू-6 के निर्दिष्ट कार्गो के साथ गियर रहित पोतों का प्रहस्तन वीपीटी के पत्तनों पर एक्सक्लूसिव अवधि के दौरान ताकि वर्तमान सुविधाओं का इष्टतम प्रयोग हो सके।

(ii) वीपीटी के न्यासी मंडल ने 17 जून, 2016 की अपनी बैठक में संकल्प संख्या 50/2016-17 के द्वारा निम्नलिखित अनुमोदन किया:

(क) शुष्क बल्क कार्गो अर्थात् ग्रेनुलेटड ब्लॉस्ट फर्नेस स्लैग, बोरा बंद फ्लाई एश, एग्रीगेट्स इस बल्क तथा बोल्डर्स के प्रहस्तन पर सुविचार किया जाये जैसा कि डब्ल्यूक्यूएमपीएल द्वारा अनुरोध किया गया है क्योंकि बर्थ का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है बशर्ते कि प्रशुल्क का अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा किया जाए और यह भी कि एपीपीसीबी से वेस्ट क्वे-6 बर्थ के लिए सीएफओ में अपेक्षित आशोधन/ संशोधन भी किये जाएं।

(iii) वीपीटी के न्यासी मंडल ने 13 अक्तूबर, 2017 को हुई अपनी बैठक में संकल्प संख्या 71/2017-18 के द्वारा निम्नलिखित अनुमोदन किया:

(क) ग्राही को प्राधिकरण द्वारा प्रशुल्क की घोषणा के अधीन जिप्सम, चूनापत्थर, बाक्साइट, मेंगनीज़ अयस्क, उर्वरक को नॉन-एक्सक्लूसिव आधार पर ईसी, सीएफओ की शर्तों में आवश्यक आशोधन यदि कोई हो के साथ और इस शर्त पर कि ग्राही उनकी एक्सूलिविटी के दावे के साथ-साथ उनके द्वारा जारी परामर्श सूचना को वापस लेने की शर्त की अधीन प्रहस्त करनी की अनुमति दी जा सकती है।

(ख) ग्राही के अनुसूचित परियोजना समाप्ति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए या परियोजना सुविधाओं और सेवाओं की प्रहस्त कार्गो की औसत वार्षिक प्रमात्रा दो लगातार वर्षों के लिए परियोजना क्षमता का 15% के स्तर पर पहुंच जाने, जो भी कम हो, तक प्रहस्त

करने की अनुमति दी जाये और उक्त कार्गो को प्रहस्त करने की अनुमति जारी रखने की समीक्षा उसके पश्चात् की जायेगी।

15.2. इस प्रकार, वीपीआी के न्यासी मंडल के उक्त तीनों संकल्पों के अनुसार, बोर्ड 10 अतिरक्त कार्गो अर्थात् पैट कोक, ग्रेनुलेटड ब्लॉस्ट फर्नेस स्लैग, बोरा बंद फ्लाई एश, एग्रीगेट्स इन बल्क, एंड बोल्डर्स, जिप्सम, चूनापत्थर, बाक्साइट, मेंगनीज़ अयस्क, उर्वरक के प्रहस्तन का अनुमोदन किया। अंतिम बोर्ड संकल्प ग्राही के अनुसूचित परियोजना समाप्ति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए या परियोजना सुविधाओं और सेवाओं की प्रहस्त कार्गो की औसत वार्षिक प्रमात्रा दो लगातार वर्षों के लिए परियोजना क्षमता का 15% के स्तर पर पहुंच जाने जो भी कम हो, तक प्रहस्त करने की अनुमति दी जाये और उक्त कार्गो को प्रहस्त करने की अनुमति जारी रखने की समीक्षा उसके पश्चात् की जायेगी।

16. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्रवाई इस प्राधिकरण के कार्यालयी रिकॉर्ड में उपलब्ध है। संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए मतों का सार उनको पृथक रूप से प्रेषित किया जाएगा। ये विवरण हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

17. मामले की प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभर कर सामने आती है:

(i) विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी) ने इस प्राधिकरण से वीपीटी की बर्थ संख्या वेस्ट क्वे (डब्ल्यूक्यू-6 पर ग्राही मैसर्ज वेस्ट क्वे मल्टी पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यूक्यूएमपीएल) द्वारा प्रहस्त किये जाने वाले 10 अतिरिक्त कार्गो के प्रहस्तन प्रभारों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव दायर किया है।

(ii) 10 अतिरिक्त कार्गो के प्रहस्तन प्रभारों के अनुमोदन के लिए वर्तमान प्रस्ताव दायर करने के लिए वीपीटी द्वारा प्रस्तुत मुख्य दलीलें इस प्रकार है:—

(क) डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ का काफी न्यून उपयोग हो रहा है और 0.52 एमटी की न्यूनतम गारंटी कार्गो (एमजीसी) भी पूरा नहीं हो पाता। वर्ष 2015-16 में बर्थ की आकूपैसी महज़ 28 दिन थी और 1.27 लाख टन की मात्रा ही प्रहस्त की गई। वर्ष 2016-17 में टर्मिनल आकूपेशन 63 दिन का था और 4.13 लाख टन प्रहस्तन किया गया था।

(ख) बर्थ के उपयोग में सुधार के लिए, रियायत करार के दायरे के भीतर सभी संभावनाओं का अन्वेषण किया गया है।

(ग) बोली-पूर्व स्तर पर ही, संभावित बोली दाताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के प्रत्युत्तर में वीपीटी ने उत्तर दिया था कि दर्शाये कार्गो की अनुपलब्धता होने पर, जिसकी संभावना नहीं है, पत्तन, इस बर्थ पर प्रहस्तित किये जाने वाले अन्य कार्गो की अनुमति देगा, बशर्ते प्राधिकरण उसे अनुमोदित करे।

(घ) पत्तन ने वीपीटी द्वारा दिये गए बोली पूर्व उत्तर के सही अर्थ और प्रयोजन के बारे में विधिक राय ली। स्थायी अधिवक्ता की राय का संगत निष्कर्षी पैरा, 31 जुलाई, 2017 के ई-मेल द्वारा प्राप्त पुनरुद्धरित किया जा रहा है:—

**"बोली पूर्व बैठक में स्पष्टीकरण की विद्यमानता, जो रियायत करार का अभिन्न अंग है, संकेत करता है कि प्राधिकरण को किया गया अनुरोध बोली-पश्च आशोधन के समान नहीं है और कानून के अनुसार इसमें शामिल संविदा पक्षों द्वारा आरंभ की गई एक न्यायसंगत वाणिज्यिक कार्रवाई है।"**

(iii) इस प्राधिकरण ने अपने 12 फरवरी, 2009 के आदेश संख्या टीएएमपी/39/2008-वीपीटी के द्वारा अपफ्रंट प्रशुल्क का अनुमोदित वीपीटी के प्रस्ताव पर और हितधारकों तथा डब्ल्यूक्यूएमपीएल के आवेदनकर्ता नामत: एबीजी इंफ्रालॉजिस्टिक्स लिमिटेड सहित संभावित बोलीदाताओं के साथ परामर्श के पश्चात् किया गया था। उक्त आदेश इस प्राधिकरण द्वारा पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) द्वारा जारी अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के अनुसरण में किया था। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित

अपफ्रंट प्रशुल्क परियोजना अवधि के दौरान डब्ल्यूपीआई के स्वत: वार्षिक 60% सूचकांकन के अधीन होता है।

अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अपफ्रंट प्रशुल्क की बोली पश्च समीक्षा का उपबंध नहीं करते। इस प्रस्ताव का मूल प्रश्न यह है कि बोली पूर्व चरण के दौरान स्वयं वीपीटी ने स्पष्ट किया है कि निर्दिष्ट चार कार्गो मदों की अनुपलब्धता के मामले में, इस प्राधिकरण के अनुमोदन से डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ पर प्रहस्तित किये जा सकने वाले अन्य कार्गो को पहस्त करने की अनुमति देगा। इस प्रकार, वीपीटी के तर्क में, बोली-पूर्व चरण में ही बोली से पूर्व संभावित बोलीदाताओं की वीपीटी द्वारा अवगत करा दिया गया था कि दर्शाये गए कार्गो की अनुपलब्धता के मामले में, पोर्ट डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ पर अन्य कार्गो को प्रहस्तन की अनुमति देगा बशर्ते इस प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त हो।

(iv) इस प्राधिकरण को दिया गया अधिदेश महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अनुसार इस प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशुल्क निर्धारण करने का है। इस प्राधिकरण को अधिनियम की धारा 111 के अंतर्गत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रशुल्क दिशानिर्देशों का अनुपालन नीति निर्देशों के रूप में करने का अधिदेश भी दिया गया है। इस प्राधिकरण के दृष्टिकोण से, वीपीटी द्वारा बोली पूर्व प्रक्रिया के दौरान दिया गया स्पष्टीकरण जैसा ऊपर चर्चा की गई है कि निर्दिष्ट कार्गो की अनुपलब्धता की स्थिति में, सफल बोलीदाता को अतिरिक्त कार्गो प्रहस्त करने की अनुमति दी जायेगी और कि बोली दस्तावेज दोनों पक्षों के बीच हुए रियायत करार का एक भाग होंगे, वीपीटी का संविदात्मक दायित्व है। यह प्राधिकरण दोनों पक्षों के बीच हुए संविदा में एक पक्ष नहीं है, जबकि सरकार द्वारा जारी प्रशुल्क दिशानिर्देश प्राधिकरण पर बाध्यकर है।

(v) इसलिए, बोली पश्च परिदृश्य में परियोजना के चलते रहने के दौरान कार्गो प्रोफाइल की समीक्षा करने के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 में समीक्षा खंड के अभाव में, एमओएस को हमारे 1 नवंबर, 2017 के पत्र के द्वारा एमओएस को मामले का परीक्षण कर इस प्राधिकरण को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था ताकि वीपीटी के प्रस्ताव पर विचार किया जा सके। इस संबंध में, एमओएस ने 21 मई, 2018 के अपने पत्र संख्या आईडब्ल्यूटी- 11/33/2018-डीडी (डीडब्ल्यू) के द्वारा स्पष्ट किया कि वीपीटी द्वारा बोली-पूर्व बैठक में प्रदान किया गया स्पष्टीकरण रियायत करार का अभिन्न अंग हैं और अतिरिक्त कार्गो के लिए दरों का निर्धारण रियायत करार का। इसलिए, प्राधिकरण की टिप्पणी कि यह बोली-पश्च संशोधन है, सारभूत नहीं है। तदनुसार, प्राधिकरण से वीपीटी के प्रस्ताव पर बोली पूर्व बैठक में दिये गए स्पष्टीकरण और रियायत करार के अनुसार आगामी आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

(vi) एमओएस इस प्राधिकरण और वीपीटी दोनों के लिए एक शीर्ष प्राधिकारी होने के नाते, ऐसे स्थिति में है कि वह वीपीटी द्वारा अतिरिक्त कार्गो प्रहस्तन के लिए डब्ल्यूक्यूएमपीएल को अनुमति देने के संबंध में रियायत करार को मान्यता दे सकता है और साथ ही उस अतिरिक्त कार्गो का प्रशुल्क निर्धारित इस प्राधिकरण पर भी बाध्यकार है। चूंकि यह प्राधिकरण संदर्भाधीन मामले में अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 द्वारा शामिल है, यह रियायत करार के अंतर्गत अतिरिक्त कार्गो के लिए प्रशुल्क निर्धारण के लिए यह अपने दायित्व को मान्य नहीं कर सका।

(vii) यदि एमओएस और इस प्राधिकरण की क्रमिक स्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में समझ लिया जाता और वीपीटी द्वारा प्रस्तुत विधिक राय को ध्यान में रखते हुए, तो वीएसपीएल द्वारा उठाया गया मुद्दा कि वीपीटी का प्रस्ताव एक बोली-पश्च परिदृश्य है तो यह अनुचित पाया जाता और इस पर सुविचार नहीं किया जाता। वास्तव में, अतिरिक्त कार्गो मदों के प्रशुल्क निर्धारण का संदर्भ तो स्वयं पूर्व-बिंदु चरण में ही डाल दिया गया था।

(viii) वीपीटी के न्यासी मंडल ने 10 अतिरिक्त कार्गो मदों के प्रहस्तन के लिए डब्ल्यूक्यूएमपीएल को अनुमोदन दिया है जिसके लिए वीपीटी ने इस प्राधिकरण को अतिरिक्त कार्गो के प्रहस्तन प्रशुल्क तब तक निर्धारण के लिए संपर्क किया है जब तक कि टर्मिनल अपनी संकल्पित क्षमता को भविष्य में नामित/निर्दिष्ट कार्गो से प्राप्त नहीं कर लेता। जब तक संदर्भाधीन अतिरिक्त कार्गो का प्रशुल्क

निर्धारित नहीं हो जाता, वीपीटी अपने संविदात्मक दायित्व का निर्वहन करने की स्थिति में नहीं होगा। इसलिए प्रस्ताव पर दस अतिरिक्त कार्गो मदों के प्रहस्तन प्रभारों के अनुमोदन के लिए सुविचार किया जाता है। इस प्राधिकरण द्वारा 12 फरवरी, 2009 को पारित प्रशुल्क आदेश द्वारा अनुमोदित दरमान बोली दस्तावेज़ों का अंतिम अंग हैं। डब्ल्यूक्यूएमपीएल को फरवरी, 2009 में अनुमोदित दरमानों के आधार पर 30 वर्षों की परियोजना अवधि के लिए प्राप्त राजस्व के आधार पर वीपीटी को संदेय राजस्व हिस्से को उद्धरत करना चाहिए था। निर्दिष्ट कार्गो मदों के लिए निर्धारित प्रहस्तन प्रभारों से संबंधित अनुसूची दरमानों का एक भाग हैं, और प्रहस्तन प्रभारों का निर्धारण 20,87,435 टन प्रति वर्ष की इष्टतम बर्थ क्षमता के प्रचालन पर 2,570.99 लाख रु. के आकलित वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) की वसूली के लिए किया गया था। इसलिए, 12 फरवरी, 2009 के अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश में सुविचारित 20,87,435 टन की इष्टतम क्षमता और प्रहस्तन प्रभारों से 2,570.99 लाख रु. की आकलित राशि पर एआरआर को बनाए रखा गया है जैसा 12 फरवरी, 2009 के अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश में चार कार्गो मदों के अपफ्रंट प्रहस्तन प्रभारों निकालते समय इस प्राधिकरण द्वारा सुविचार में लिया गया था।

(ix) (क) वीएसपीएल ने वीपीटी के वर्तमान प्रस्ताव पर पुरजोर आपत्ति की है। इंडियन प्राइवेट पोर्टस एंड टर्मिनल एसोसिएशन (आईपीपीटीए), प्राइवेट टर्मिनल प्रचालकों का एक छत्र निकाय, ने भी वीएसपीएल द्वारा उठाये गए मुददों को दोहराया है। वीएसपीएल और पीपीटीए के अतिरिक्त, किसी अन्य प्रयोक्ता/प्रयोक्ता संगठन ने वीपीटी के प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं की है। वास्तव में, मैसर्ज के रामब्रहमन एंड संज़ प्राइवेट लिमिटेड ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि उनहें डब्ल्यूक्यू-6 पर तब तक बल्क कार्गो के उपयोग के लिए कोई आपत्ति नहीं है जब तक वहां निर्दिष्ट क्षमता प्राप्त नहीं कर ली जाती।

(ख) जहां तक वीएसपीएल और आईपीपीटीए द्वारा उठाये गए मुद्दों का संबंघ है कि कुछेक शब्दों की व्याखा के संदर्भ से बोली-पूर्व स्पष्टीकरण अस्पष्ट हे, वीपीटी ने साफ तौर पर बताया है कि बोली-पूर्व बैठक में वीपीटी द्वारा दिये गए उत्तर में दर्शाये गए कार्गो की अनुपलब्धता की स्थिति में टर्मिनल पर अन्य कार्गो की अनुमति देने के संबंध में कोई अस्पष्टता नहीं है। वीपीटी ने स्पष्ट किया है कि दर्शाये कार्गो के लिए प्रक्षेपित यातायात प्रमात्रा के आधार पर परियोजना बनाई गई थी और परियोना ककी व्यवहार्यता टेक्नों आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) के अनुसार है। फिर भी, परियोजना के अव्यवहारिक होने के किसी संभावित जोखिम से बचने के लिए किए, जिस पर बोली के समय पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका, वीपीटी ने यह तर्क दिया कि यह उस अन्य कार्गो की अनुमति देगा जिन्हें इस बर्थ पर प्रहस्त किया जा सकेगा और वह भी इस प्राधिकरण के अनुमोदनाधीन होगा। यह खंड कि "कार्गो जिसे प्रहस्त किया जा सके" स्पष्ट करता है कि पत्तन केवल उन्हीं कार्गो की अनुमति देगा जो निर्दिष्ट नहीं होंगे और अन्य पीपीपी टर्मिनलों के लिए विनिर्दिष्ट नहीं होंगे, ताकि अन्य प्रचालकों के व्यापारिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। वीएसपीएल को बहु कार्गो प्रहस्त करने के लिए बीओटी आधार पर दिया गया है और प्रस्तावित अतिरिक्त कार्गो के लिए कोई एक्सक्लूसिविटी भी विद्यमान नहीं है। इस प्रकार वीपीटी ने वीएसपीएल और ईप्टा द्वारा उठाये गए मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट कर दी है।

(ग) वीएसपीएल ने यह आपत्ति भी की है कि बीओटी प्रचालक द्वारा प्रहस्त किये जाने वाले अतिरिक्त कार्गो के प्रहस्तन की अनुमति के लिए अनुमोदन प्राधिकरण नहीं है। इस संबंध में, यह बताया जाता है कि इस प्राधिकरण को यह अधिदेश है कि यह महापत्तन न्यासों और महापत्तन न्यासों द्वारा अधिकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली कार्गो संबंधी प्रभारों की अन्य दरों के साथ-साथ, दरों का निर्धारण करे।

वर्तमान मामले में, वीपीटी के न्यासी मंडल ने, पहले चर्चा किये गए कारणों से डब्ल्यूक्यूएमपीएल को अतिरिक्त 10 कार्गो मदों को प्रहस्त करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। पत्तन ने इस संबंध में न्यासी मंडल का अनुमोदन भी प्रस्तुत किया है। वीपीटी ने

इस प्राधिकरण से अपने बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर 10 अतिरिक्त कार्गो मदों के लिए प्रहस्तन प्रभारों के अनुमोदन के लिए संपर्क किया है। एमओएस ने भी इस मामले में स्पष्टीकरण दे दिया है और इस प्राधिकरण रियायत करार और बोली-पूर्व बैठक में दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार आगामी आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। यह प्राधिकरण संविधि के अंतर्गत वीपीटी द्वारा अधिकृत बीओटी प्रचालक द्वारा प्रदान की जाने वाली कार्गो प्रहस्तन सेवाओं के लिए प्रहस्तन प्रभार प्रशुल्क निर्धारित करने के अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर है। यह मानना होगा कि जब तक अतिरिक्त कार्गो के लिए प्रशुल्क का निर्धारण कर नहीं दिया जाता, वीपीटी रियायत करार के अंतर्गत अपने संविदात्मक दायित्व निर्वहन करने की स्थिति में नहीं होगा।

(घ) वीएसपीएल ने एक और मुद्दा यह उठाया है कि यह एक गलत पूर्वोदाहरण बन जायेगा और अन्य बीओटी प्रचालकों से भी ऐसे दावे आने से अव्यवस्था फैल जायेगी। यहां यह दोहराना समुचित हो जाता है कि यह मामला वीपीटी द्वारा बोली-पूर्व स्पष्टीकरण देने और कि बोली-पूर्व बैठक में दिया गया स्पष्टीकरण बोली प्रक्रिया तथा रियायत करार का अभिन्न अंग बना जाने से उठा है।

यदि कोई अन्य बीओटी प्रचालक पीड़ित और दबाव में है, तो सरकार ने उसके लिए समाधान तंत्र बनाया हुआ है। भारत पत्तन संघ (आईपीए) के अंतर्गत एमओएस द्वारा गठित एक समिति ने एक रिपोर्ट दी जिसके अंतर्गत सभी महापत्तन न्यासों के लिए कए समाधान तंत्र बनाया गया है और उन्हें रुग्ण पीपीपी परियोजनाओं का उनके समक्ष रखने को कहा गया है। एमओएस ने 11 जुलाई, 2018 के अपने पत्र संख्या पीडी-13/1/2018-पीपीपी प्रकोष्ठ के द्वारा सभी महापत्तन न्यासों को सृजित सुविधा का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित प्रक्रियानुसार परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा करने का निर्देश दिया है।
वर्तमान मामला भिन्न है क्योंकि यह मामला वीपीटी द्वारा बोली-पूर्व स्पष्टीकरण देने और कि बोली-पूर्व बैठक में दिया गया स्पष्टीकरण बोली प्रक्रिया तथा रियायत करार का अभिन्न अंग बना जाने से उठा है।

(ङ) जहां तक वीएसपीएल द्वारा उठाया गया यह मुद्दा कि हुक स्थान सुपुर्दगी की अनुमति नहीं दी जाए क्योंकि 2008 के दिशानिर्देशों के अंतर्गत से कार्यकलापों की कोई व्यवस्था नहीं है। वीपीटी ने सही स्पष्ट किया है कि प्रस्ताव अतिरिक्त 10 कार्गो के लिए समेकित प्रहस्तन प्रभार के लिए प्रशुल्क निर्धारण से संबंधित है। 12 फरवरी, 2009 के आदेश में अनुसूची 3 के नीचे दी गई टिप्पणी और 4 दिसंबर, 2015 के आदेश में डब्ल्यूक्यूएमपीएल के नाम से अनुमोदित सूचकांकित दरमानों की अनुसूची में निर्धारित प्रहस्तन प्रभार इनके लिए समेकित दर है (i) नौभरण और भंडारण के बिंदु तक उसके स्थानांतरण सहित पोत से कार्गो की उतराई, 5 दिनों की नि:शुल्क अवधि तक स्टेकयार्ड में भंडारण और आघात कार्गो के मामले में ट्रकों पर लदाई और (ii) स्टेकयार्ड पर ट्रकों से कार्गो की उतराई 15 दिनों की अवधि तक स्टेकयार्ड में भंडारण, लदाई बिंदु पर कार्गो स्थानांतरण और नौभरण सहित जलयान पर लदाई के लिए एक समेकित प्रभार है। समेकित प्रहस्तन प्रभारों में सेवाओं का घटक 10 अतिरिक्त कार्गो पर भी जारी रहेगा जो डब्ल्यूक्यूएमपीएल के वर्तमान दरमानों में विद्यमान टिप्पणी द्वारा शामिल होती हैं।

(x) 12 फरवरी, 2009 के अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश में निर्धारित प्रहस्तन प्रभार चार कार्गो मदों के लिए हैं। उसके प्रति अब वीपीटी ने लैम कोक की वर्तमान दर के समान नौ अतिरिक्त शुष्क बल्क कार्गो के लिए प्रहस्तन प्रभारों का प्रस्ताव किया है और बोरा बंद फ्लाई एश को इस्पात के लिए निर्धारित दर पर दस अतिरिक्त कार्गो मदों के लिए प्रहस्तन प्रभारें का प्रस्ताव करते समय, वीपीटी ने इष्टतम क्षमता 2087435 टन (20.87 लाख टन) बनाये रखी है, फरवरी, 2009 के आदेश में यथानिर्धारित, और अपफ्रंट प्रहस्तन प्रभार निकालने समय उक्त आदेश में सुविचारित प्रहस्तन प्रभारों से आकलित एआरआर भी 2,570.99 लाख रुपए पर ही यथावत रखा है। 20.87 लाख टन की समग्र क्षमता के वितरण के लिए वीपीटी द्वारा अपनायी गई प्रणाली निम्नवत है:

क प्राधिकरण के 12 फरवरी, 2009 के आदेा संख्या टीएएमपी/39/2008-वीपीटी में यथानिर्धारित डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ की क्षमता।

| कार्गो | % हिस्सा | प्रहस्तन दर (टन/दिन) |
|---|---|---|
| शुल्क बल्क कार्गो: | | |
| (i). सीपी कोक | (i). सीपी कोक | (i). सीपी कोक |
| (ii). एलएएम कोक | (ii). एलएएम कोक | (ii). एलएएम कोक |
| ब्रेक बल्क कार्गो: | | |
| (i). इस्पात | (i). इस्पात | (i). इस्पात |
| (ii). ग्रेनाइट ब्लॉक | (ii). ग्रेनाइट ब्लॉक | (ii). ग्रेनाइट ब्लॉक |

इष्टतम क्षमता टन में = 0.7*((एस1*पी1)+(एस2*पी2)+(एस3*पी3)+(एस4*पी4))*365

=0.7*{(36%*10000)+(36%*10000)+(18%*4000)+(10%*2500)}*365=2,087,435

ख रोमन नंबरों में दी गई 10 अतिरिक्त कार्गो मदों पर वर्तमान प्रस्ताव में सुविचार के पश्चात् वीपीटी द्वारा पुन: मूल्यांकित क्षमता।

| कार्गो | % हिस्सा | प्रहस्तन दर (टन/दिन) |
|---|---|---|
| शुष्क बल्क कार्गो:<br><br>1. सीपी कोक,<br>2. एलएएम कोक<br>और अतिरिक्त कार्गो अर्थात् (i).पेट कोक<br>(ii). ग्रेनुलेटिड ब्लॉस्ट फर्नेस स्लैग, (iii). एग्रीगंटस इन बल्क,<br>(iv). बोल्डर्स, (v). जिप्सम, (vi). चूनापत्थर,<br>(vii). बाक्साइट, (viii). मैंगनीज अयस्क, (ix) उर्वरक (तैयार और कच्ची सामग्री) | 72%<br>(एस1) | 10000 (पी1) |
| ब्रेक बल्क कार्गो:<br>3. इस्पात<br>अतिरिक्त कार्गो अर्थात् (x) फ्लाई एश बैगों | 18%<br>(एस2) | 4000 (पी2) |
| 4. ग्रेनाइट ब्लॉक | 10%<br>(एस3) | 2500 (पी3) |

इष्टतम क्षमता टन में = 0.7*((एस1*पी1)+(एस2*पी2)+(एस3*पी3))*365

= 0.7*{(72%*10000)+(18%*4000)+(10%*2500)}*365 = 2087435

प्रहस्तन के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त कार्गो मदों अर्थात् पेट कोक, ग्रेनुलेटिड ब्लॉस्ट फर्नेस स्लैग, एग्रीगंटस इन बल्क, बोल्डर्स, जिप्सम, चूनापत्थर, बाक्साइट, मैंगनीज अयस्क, उर्वरक (तैयार और कच्ची सामग्री) को बर्थ की उपयोगिता में सुधार लाने और परियोजना को व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से, नॉन-एक्सक्लूसिव आधार पर अनुमत किया गया है।

महापत्तन न्यास स्थित पीपीपी परियोजनाओं के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के अनुलग्नक-V में निर्दिष्ट उत्पादन दर को ध्यान में रखते हुए सभी शुष्क बल्क कार्गो को एक श्रेणी में रखा गया है और फ्लाई एश बैगों को स्टील के साथ जोड़ा गया है।

(xi) फरवरी, 2009 के आदेश में निर्धारित चार कार्गो मदों के लिए निर्धारित इष्टतम क्षमता, आकलित एआरआर और प्रहस्तन प्रभार और दस अतिरिक्त कार्गो मदों सहित अब प्रस्तावित, जैसा पहले चर्चा की गई है, को तुरंत संदर्भ के लिए पुनरुद्धरित किया जाता है:

| 12 फरवरी, 2009 के प्रशुल्क आदेश के अनुसार भंडारण प्रभार | | | | | 19 सितंबर, 2017 के वीपीटी के प्रस्ताव के अनुसार भंडारण प्रभार | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **इष्टतम क्षमता:** 20.87 लाख टन | | | | | **इष्टतम क्षमता:** 20.87 लाख टन | | | | |
| **प्रहस्तन क्रियाकलापों से वार्षिक राजस्व की अपेक्षा:** ₹ 2570.59 लाख | | | | | **प्रहस्तन क्रियाकलापों से वार्षिक राजस्व की अपेक्षा:** ₹ 2570.59 लाख | | | | |
| **अनुसूची- 3 एसओआर में कार्गो प्रहस्तन प्रभार** | | | | | **अनुसूची- 3 एसओआर में कार्गो प्रहस्तन प्रभार** | | | | |
| **क्र.सं.** | **वस्तु** | **इकाई** | **दर रुपए में** | | **क्र.सं.** | **वस्तु** | **इकाई** | **दर रुपए में** | |
| | | | **विदेशी** | **तटीय** | | | | **विदेशी** | **तटीय** |
| (क). | सीपी कोक | प्रति मीट्रिक टन | 78.50 | 47.10 | (क). | सीपी कोक, लैम कोक. | प्रति मीट्रिक टन | 78.50 | 47.10 |
| (ख). | लैम कोक | प्रति मीट्रिक टन | 78.50 | 47.10 | (ख). | अतिरिक्त कार्गो अर्थात् | | | |
| | | | | | (i). | पेट कोक, | | | |
| | | | | | (ii). | ग्रेनुलेटिड ब्लॉस्ट फर्नेस स्लैग, | | | |
| | | | | | (iii). | एग्रीगंटस इन बल्क, | | | |
| | | | | | (iv). | बोल्डर्स, | | | |
| | | | | | (v). | जिप्सम, | | | |
| | | | | | (vi). | चूनापत्थर, | | | |
| | | | | | (vii). | बाक्साइट, मैंगनीज | | | |
| | | | | | (viii). | अयस्क, | | | |
| | | | | | (ix). | उर्वरक (तैयार और कच्ची सामग्री) | | | |
| (ग). | इस्पात | प्रति मीट्रिक टन | 202.30 | 121.40 | (ग). | इस्पात एवं अतिरिक्त कार्गो अर्थात | प्रति मीट्रिक टन | 202.30 | 121.40 |
| | | | | | (i). | फ्लाई एश बोरा | | | |
| (घ). | ग्रेनाइट ब्लाक | प्रति मीट्रिक टन | 312.55 | 187.55 | (घ). | ग्रेनाइट | प्रति मीट्रिक टन | 312.55 | 187.55 |

उक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि वीपीटी ने वर्तमान सीपी कोक और लैम कोक को एक साथ जोड़ दिया है जिसके लिए वही दर निर्धारित की गई है जो पहली मद के लिए है। उसके अतिरिक्त, वीपीटी ने 9 अतिरिक्त कार्गो जोड़े हैं जैसा ऊपर क्रमांक ख (i) से (ix) तक दिये गए हैं और फरवरी, 2009 के आदेश में लैम कोक और सीपी को के लिए निर्धारित दर के समान दर का प्रस्ताव किया है। इसके अतिरिक्त, एक अतिरिक्त कार्गो नामत: फ्लाइ ऐश के बोरे, क्रमांक (ग) (i) के लिए पत्तन ने ब्रेक बल्क कार्गो के अंतर्गत इस्पात के लिए निर्धारित दर का प्रस्ताव किया है।

बहुप्रयोजनीय कार्गो बर्थ के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 शुष्क बल्क कार्गो, कोयला, चूना पत्थर, खनिज आदि के उत्पादकता प्रतिमान 10000 टन/ प्रति दिन है। अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश शुष्क बल्क कार्गो के लिए वार प्रहस्तन दर निर्धारित नहीं करते। फरवरी, 2009 के आदेश में शुष्क

बल्क कार्गो, लैम कोक और सीपी कोक के लिए वीपीटी द्वारा 10000 टन/प्रति दिन पर सुविचार किया था और इस्पात के लिए उक्त आदेश में सुविचारित उत्पादकता अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 में इस्पात और बोरा बंद कार्गो के लिए यथानिर्धारित 4000 टन/ दिन है।

पत्तन ने बताया है कि महापत्तन न्यासों पर पीपीपी परियोजना की स्थापना के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के अनुलग्नक-V को ध्यान में रखते हुए 9 अतिरिक्त शुष्क बल्क कार्गो सहित सारे शुष्क बल्क कार्गो को एक श्रेणी में संबद्ध कर दिया गया है तथा फ्लाई एश के बोरों को इस्पात के साथ जोड़ा गया है। पत्तन ने एक प्रयोक्ता की टिप्पणियों पर अपनी प्रतिक्रिया देते समय बताया है कि अतिरिक्त 10 कार्गो का प्रहस्तन ठीक उसी प्रकार किया जायेगा जैसा फरवरी, 2009 के आदेश में प्रशुल्क निर्धारित के लिए चार कार्गो का किया जाना है। पत्तन द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण के आधार पर, यह प्राधिकरण पत्तन के प्रस्ताव का समर्थन करता है।

(xii) (क) मूल प्रस्ताव में, वीपीटी ने अतिरिक्त 10 कार्गो के लिए ही उस समय तक प्रहस्तन प्रभारों का अनुमोदन चाहा था जब तक निर्दिष्ट कार्गो की प्रमात्रा बढ़ नहीं जाती और टर्मिनल संकल्पित क्षमता प्राप्त नहीं कर लेता। वीएसपीएल द्वारा उठाये गए एक मुद्दे का उत्तर देते समय, वीपीटी ने बताया कि जब तक टर्मिनल पर निर्दिष्ट क्षमता प्राप्त नहीं कर ली जाती तब तक 10 अतिरिक्त कार्गो के प्रहस्तन प्रभारों का प्रस्ताव किया जाता है। वीपीटी ने अपनी टिप्पणियों में 'निर्दिष्ट क्षमता' शब्दों का प्रयोग किया है।

इस संदर्भ में, यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि फरवरी, 2009 में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क वीपीटी द्वारा आकलित और इस प्राधिकरण द्वारा सुविचारित 'इष्टतम क्षमता' 2087435 टन (20.87 लाख टन) है। दस अतिरिक्त कार्गो के लिए प्रस्तावित प्रहस्तन प्रभार में भी 20.87 लाख टन इष्टतम क्षमता धारित किया है। अत: दस अतिरिक्त कार्गो मदों के लिए अनुमोदित प्रहस्तन प्रभार का 20.87 लाख टन की वीपीटी द्वारा उल्लिखित 'इष्टतम क्षमता'।

(ख) जैसा कि पहले बताया गया है वीपीटी के न्यासी मंडल ने विभिन्न तारीखों पर परित तीन बोर्ड संकल्पों के द्वारा ग्राही को 10 अतिरिक्त कार्गो मदों को प्रहस्तन करने का अनुमोदन प्रदान किया है। यहां यह बताना समीचीन होगा कि वीपीटी के न्यासी मंडलन की 13 अक्तूबर, 2017 को हुई बैठक के आखरी संकल्प में, ग्राही डब्ल्यूक्यूएमपीएल को प्राधिकरण द्वारा प्रशुल्क की घोषणा और अन्य डब्ल्यूक्यूएमपीएल द्वारा गैर-प्रशुल्क शर्तों को पूरा करने पर निर्दिष्ट अतिरिक्त कार्गो प्रहस्त करने का अनुमोदन ग्राही के अनुसूचित परियोजना समाप्ति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए या परियोजना सुविधाओं और सेवाओं की प्रहस्त कार्गो की औसत वार्षिक प्रमात्रा दो लगाता वर्षों के लिए परियोजना क्षमता का 15% के स्तर पर पहुंच जाने जो भी कम हो, तक प्रहस्त करने की अनुमति दी जाये और उक्त कार्गो को प्रहस्त करने की अनुमति जारी रखने की समीक्षा उसके पश्चात् की जायेगी। पांच वर्ष की अवधि पहले ही परियोजना के पूरे होने की तारीख से आरंभ जे चुकी है। अनुसूचित परियोजना आरंभ हो चुकी है। अनुसूचित परियोजना पूरी होन की तारीख और वह तारीख जिस को पांच वर्ष की अवधि समाप्त होगी बोर्ड के संकल्प में अस्पष्ट है। यदि बोर्ड संकल्प के अन्य भाग कि परियेाजना सुविधा पर प्रहस्तित कार्गो की औसत वार्षिक प्रमात्रा लगातार दो वर्षो के लिए परियेाजना क्षमता को 75% के स्तर तक पहुंचने को धारित रखा जाता है। यह एक खुली शती है। इसलिए यह प्राधिकरण वीपीटी द्वारा 10 अतिरिक्त कार्गो के लिए चाहे गए प्रहस्तन प्रभारों का अनुमोदन करते समय, वीपीटी द्वारा प्रचालक द्वारा यानी डब्ल्यूक्यूएमपीएल इष्टतम क्षमता के 75% के स्तर तक यानी दो (2) लगातार वर्षों में 20.87 लाख टन तक पहुंचने का अनुमोदन इस शर्त पर करता है कि अनुसूचित परियोजना समापन तारीख से 5 वर्ष पूरे होने पर वीपीटी द्वारा समीक्ष की जाएगी।

यही भी उल्लेख किया जाता है कि, वीपीटी, लाइसेंस प्रदात्ता पत्तन होने के नाते, यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित परियोजना समाप्ति की तारीख से 5 (पांच) वर्ष की अवधि की समाप्ति पर और डब्ल्यूक्यूएमपीएल लगातार 2 (दो) वर्षों के लिए इष्टतम क्षमता के 75%

अर्थात् 20.87 लाख टन का स्तर प्राप्त कर लिया है। डब्ल्यूक्यूएमपीएल तत्काल उस अतिरिक्त् कार्गो का प्रहस्तन बंद कर देगा जिसके लिए इस प्राधिकरण द्वारा, वीपीटी के प्रस्ताव के आधार पर, प्रहस्तन प्रभार अनुमोदित किये गए हैं।

इसके अतिरिक्त, अत्यंत चौकसी के लिए, यह प्राधिकरण अनुबद्ध करता है कि वर्तमान प्रक्रिया में 10 अतिरिक्त कार्गो के लिए अनुमोदित प्रहस्तन प्रभार स्वत: लागू होने समाप्त हो जायेंगे जब 2 (दो) लगातार वर्षों में इष्टतम क्षमता के 75% का स्तर यानी 20.87 लाख टन का स्तर परियोजना की निर्धारित समापन तारीख से 5 (पांच) वर्ष की समाप्ति पर वीपीटी द्वारा समीक्षाधीन होंगे। इस संबंध में एक टिप्पणी निर्धारित की जाती है दरमानों में अंतर्विष्ट की जाती है।

(ग) वीपीटी ने इस प्रस्ताव को पूर्णत: पारदर्शी ढंग से कार्यान्वित करना स्वीकार किया है। वीपीटी, लाइसेंस प्रदाता पत्तन होने के नाते, तिमाही वास्तविक निष्पादन, कार्गो वार प्रहस्तित प्रमात्रा सहित, और डब्ल्यूक्यूएमपीएल के वित्तीय निष्पादन संबंधी रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 दिन के भीतर और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 2 महीने के भीतर वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट इस प्राधिकरण को भेजेगा।

उक्त बिंदुओं से वीपीटी के इस प्रस्ताव के पारदर्शी कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे का और डब्ल्यूक्यूएमपीएल द्वारा एक बार निर्दिष्ट इष्टतम क्षमता प्राप्त कर लेने पर रोकने के बाध्यकर तंत्र से वीएसपीएल द्वारा उठाये गए मुद्दे का समाधान हो गया होगा।

(xiii) जहां तक मैसर्ज के रामब्रहमन एंड संज प्राइवेट लिमिटेड का द्वारा उठाया गया मामलो का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि अनुसूची के नीचे दी गई टिप्पणी सुस्पष्ट करती है कि इन समेकित प्रभार में घाटशुल्क ओर श्रम का आपूर्ति जहां जरूरी हो, और दरमानों के विशिष्ट रूप से निर्धारित किए गए सभी अन्य विविध प्रभार शामिल है। उक्त टिप्पणी अतिरिक्त 10 कार्गो पर भी लागू रहेगी।

(xiv) (क) जहां तक वीपीटी द्वारा भंडारण प्रभारों में आशोधन का संबंध है, डब्ल्यूक्यूएमपीएल ने 12 फरवरी, 2009 के अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश में निर्धारित भंडारण प्रभारों को तेलंगाना राज्य और आंध्रप्रदेश राज्य के माननीय हैदराबाद उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी कि प्राधिकरण ने डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ के लिए वीपीटी हेतु निर्धारित कम प्रभारों की तुलना में गलती से अधिक भंडारण प्रभार निर्धारित किये हैं और 2017 की रिट याचिका संख्या 28595 में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भंडारण प्रभारों को रद्द करने का तथा प्राधिकरण को नए भंडारण प्रभार प्रशुल्क निर्धारण करने का निदेश देने का अनुरोध किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने 14 दिसंबर, 2017 के आदेश में इस प्राधिकरण को याचिकाकर्ता अर्थात् डब्ल्यूक्यूएमपीएल तथा वीपीटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सुविचार करने का निदेश देते हुए डब्ल्यूक्यूएमपीएल के 16 जून, 2017 तथा 30 जून, 2017 के अभ्यावेदनों का निपटान कर दिया।

2017 की रिट याचिका संख्या 28595 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, इस प्राधिकरण ने 18 मई, 2018 को आदेश संख्या टीएएमपी/85/2017-वीपीटी पारित कर डब्ल्यूक्यूएमपीएल के 16 जून, 2017 और 30 जून, 2017 के अभ्यावेदनों का निपटान, डब्ल्यूक्यूएमपीएल और वीपीटी के साथ निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुपालन और उन्हें सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् किया। उक्त आदेश में भंडारण प्रभारों को इस प्राधिकरण द्वारा सुधार दिया गया है और संशोधित (घटाया हुआ) भंडारण प्रभार को ऊपर पैरा 7.6 में दर्शाया गया है संक्षिप्तता की दृष्टि से यहां दोहराया नहीं जाता है। इसलिए, डब्ल्यूकयू-6 परियोजना के भंडारण प्रभार की समीक्षा के वीपीटी के मुद्दे का समाधान इस प्राधिकरण ने 18 मई, 2018 के उक्त आदेश के द्वारा पहले ही कर दिया गया है।

(ख) भंडारण प्रभार और विविध प्रभार अतिरिक्त दस कार्गो मदों पर भी लागू होंगे।

(xv) चूंकि इस प्राधिकरण ने डब्ल्यूक्यूएमपीएल के नाम से दरमान अधिसूचित कर दिये हैं और यह मान्य करते हुए कि एक निर्दिष्ट समय के लिए दस अतिरिक्त कार्गो मदों के लिए अनुमोदित दरें, जैसा पूर्व के पैराओं में उल्लेख किया गया है, यह उचित होगा कि इस प्राधिकरण द्वारा 4 सितंबर, 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/49/2015-वीपीटी द्वारा अधिसूचित सूचकांकित दरमानों में दस अतिरिक्त कार्गो मदों के लिए संशोधित समेकित प्रहस्तन प्रभारों को अलग से डब्ल्यूक्यूएमपीएल के नाम से निर्धारित किया जाये न कि फरवरी, 2009 के अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश में अनुमोदित दरमानों के साथ कोई छेड़-छाड़ की जाए।

18.1. परिणाम में और ऊपर दिये गए कारणों से तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण, वीपीटी द्वारा यथाप्रस्तावित, दस अतिरिक्त कार्गो मदों के लिए कार्गो प्रहस्तन प्रभारों का अनुमोदन इस प्राधिकरण के 4 दिसंबर, 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/49/2015-वीपीटी द्वारा अनुमोदित दरमानों वर्तमान अनुसूची-3 कार्गो प्रहस्तन प्रभार के तत्काल पश्चात् और टिप्पणियों से ऊपर अनुसूची 3.1. को अंतर्विष्ट करते हुए करता है।

(i) निम्नलिखित 3.1 अतिरिक्त कार्गो के लिए कार्गो प्रहस्तन प्रभार को इस प्राधिकरण के 4 दिसंबर, 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/49/2015-वीपीटी द्वारा अनुमोदित दरमानों वर्तमान अनुसूची-3 कार्गो प्रहस्तन प्रभार के तत्काल पश्चात् और टिप्पणियों से ऊपर अंतर्विष्ट करें:

**"अनुसूची 3.1 – अतिरिक्त कार्गो के लिए कार्गो प्रहस्तन प्रभार**

| क्र.सं. | वस्तु | इकाई | दर रुपए में | |
|---|---|---|---|---|
| | | | विदेशी | तटीय |
| (क). | अतिरिक्त शुल्क बल्क कार्गो | प्रति मीट्रिक टन | 106.04 | 63.62 |
| (i). | पेट कोक, | | | |
| (ii). | ग्रेनुलेटिड ब्लॉस्ट फर्नेस स्लैग, | | | |
| (iii). | एग्रीगंटस इन बल्क, | | | |
| (iv). | बोल्डर्स, | | | |
| (v). | जिप्सम, | | | |
| (vi). | चूनापत्थर, | | | |
| (vii). | बाक्साइट, | | | |
| (viii). | मैंगनीज अयस्क, | | | |
| (ix). | उर्वरक (तैयार और कच्ची सामग्री) | | | |
| (x). | फ्लैस एश बैग | प्रति मीट्रिक टन | 273.27 | 163.96 |

टिप्पणी: वर्तमान प्रक्रिया में अनुसूची 3.1. में दस अतिरिक्त कार्गो के लिए अनुमोदित प्रहस्तन प्रभार स्वत: लागू होने समाप्त हो जायेंगे जब 2 (दो) लगातार वर्षों में इष्टतम क्षमता के 75% का स्तर यानी 20.87 लाख टन का स्तर परियोजना की निर्धारित समापन तारीख से 5 (पांच) वर्ष की समाप्ति पर वीपीटी द्वारा समीक्षाधीन होंगे।

18.2. वीपीटी, लाइसेंस प्रदात्ता पत्तन होने के नाते, यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित परियोजना समाप्ति की तारीख से 5 (पांच) वर्ष की अवधि की समाप्ति पर और डब्ल्यूक्यूएमपीएल लगातार 2 (दो) वर्षों के लिए इष्टतम क्ष्ज्ञमता के 75% अर्थात् 20.87 लाख टन का स्तर प्राप्त कर लिया है। डब्ल्यूक्यूएमपीएल तत्काल उस अतिरिक्त् कार्गो का प्रहस्तन बंद कर देगा जिसके लिए इस प्राधिकरण द्वारा, वीपीटी के प्रस्ताव के आधार पर, प्रहस्तन प्रभार अनुमोदित किये गए हैं।

18.3. वीपीटी को यह निर्देश भी दिया जाता है कि वह तिमाही वास्तविक निष्पादन, कार्गो वार प्रहस्तित प्रमात्रा सहित, और डब्ल्यूक्यूएमपीएल के वित्तीय निष्पादन संबंधी रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 दिन के भीतर और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 2 महीने के भीतर वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट इस प्राधिकरण को भेजेगा।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

# TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

## NOTIFICATION

Mumbai, the 10th October, 2018

**No. TAMP/44/2018-VPT.—**In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Visakhapatnam Port Trust (VPT) seeking approval of handling charge for 10 additional cargo items to be handled by the Concessionaire viz. M/s.West Quay Multiport Private Limited (WQMPL) at WQ-6 berth a BOT Operator governed under Upfront Tariff fixation Guidelines of 2008 as in the Order appended hereto.

## Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/44/2018-VPT

**Visakhapatnam Port Trust** - - - - - **Applicant**

**QUORUM**

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

## O R D E R

(Passed on this 3rd day of October 2018)

This case relates to the proposal dated 19 September 2017 received from Visakhapatnam Port Trust (VPT) seeking approval of handling charge for 10 additional cargo items to be handled by the Concessionaire viz. M/s.West Quay Multiport Private Limited (WQMPL) at WQ-6 berth.

1.2. The Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (MSRTH) announced the guidelines for upfront tariff setting for Public Private Participation (PPP) projects at Major Ports vide its communication No.PR-14019/25/2007-PG dated 12 February 2008. In compliance with the directions from the MSRTH under Section 111 of the Major Port Trusts Act 1963, this Authority notified the guidelines for upfront tariff setting vide Notification No.TAMP/52/2007-Misc. in the Gazette of India on 26 February 2008.

2.1. In pursuance of the said guidelines, this Authority has earlier passed an Order No.TAMP/39/2008-VPT dated 12 February 2009 approving upfront tariff for Multipurpose cargo berth no.WQ-6 at VPT following the upfront tariff guidelines of 2008. The Scale of Rates approved in said upfront tariff Order prescribes berth hire charge, handling charge, storage charge and miscellaneous charges on upfront basis for the said Public Private Partnership (PPP) Project of the VPT following the upfront tariff guidelines of 2008. The upfront tariff Order is for handling cargo items as listed below based on the proposal filed by the VPT at the relevant point of time.

(i). CP Coke
(ii). LAM Coke
(iii). Steel
(iv). Granite Blocks

2.2. The said Order was notified in Gazette of India vide Gazette No.26 dated 24 February 2009.

2.3. As per para 11.1 of the said Order dated 12 February 2009, the upfront tariff approved in the said Order is subject to automatic annual indexation at 60% of the WPI in line with clause 2.8 of the upfront tariff guidelines of 2008 issued by the Ministry of Shipping (MOS).

3.1. The VPT invited bids base on the upfront tariff approved by this Authority for the WQ-6 berth vide Order No.TAMP/39/2008-VPT dated 12 February 2009 and awarded the development of the West Quay-6 berth to the West Quay Multiport Private Limited (WQMPL) and has entered into a Concession Agreement dated 31 July 2010 with WQMPL in this regard for a period of 30 years for handling above listed cargo on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis at VPT.

3.2. As per para 11.2 of the said Order, before commencement of operation, the WQMPL has approached this Authority for Notification of Scale of Rate (SOR) in its name. Accordingly, the SOR was notified in the name of WQMPL vide Order No.TAMP/49/2015-VPT dated 4 September 2015 for handling the four cargo items.

4.1. The VPT has filed a proposal dated 19 September 2017 before this Authority seeking approval for tariff for the following ten additional cargo items to be handled by the WQMPL at the same WQ-6 berth:

(i). Pet Coke
(ii). Granulated Blast Furnace Slag
(iii). Bagged Fly Ash
(iv). Aggregates in Bulk
(v). Boulders
(vi). Gypsum
(vii). Limestone
(viii). Bauxite
(ix). Manganese Ore
(x). Fertilizers (finished & raw materials)

4.2. The points made by the VPT in its proposal dated 19 September 2017 are summarized below:

(i). The WQ-6 berth is grossly underutilized and not able to meet the Minimum Guaranteed Cargo (MGC) of 0.52 MT. The berth was occupied for 28 days and a quantity of 1.27 lakh tonnes of cargo was handled during the year 2015-16. The terminal occupation was 63 days and 4.13 lakh tonnes was handled during the year 2016-17.

(ii). To improve the utilization of the berth, all the possibilities within the ambit of the Concession Agreement are explored. At the pre-bid stage itself, the VPT has replied to one of the queries raised by the prospective bidders that in case of non-availability of indicative cargoes, which is unlikely, Port will permit positively other cargoes that can be handled at this berth subject to approval of TAMP.

The query raised by the bidders in the pre-bid stage and the reply by VPT which forms part of the Concession Agreement is as under:

| Sl. No. | Relevant Queries/ Comments & Suggestions by prospective bidders during pre-bid meeting by VPT. | Remarks of VPT thereon |
|---|---|---|
| 15 | Can the WQ-6 berth handle other cargo (other than CP coke, LAM coke, steel and Granite blocks) | In case of non-availability of indicative cargoes, which is unlikely, Port will permit positively other cargoes that can be handled at this berth subject to approval of TAMP. |

(iii). Consequently, the VPT submitted a proposal to TAMP under cover of its letter dated 8 November 2016 for fixation of tariff for additional cargoes on the request of the Concessionaire, after obtaining the approval of the VPT Board.

(iv). TAMP vide its letter dated 13 December 2016 stated that there is no scope to revise upfront tariff or cover any other cargo in a post bid scenario other than the cargo for which the tariff has been fixed on upfront basis.

(v). VPT held a meeting on 10 April 2017 with WQMPL and the lenders consequent on consultation notice dated 31 March 2017 issued by the Concessionaire. During the meeting, among other things, it was decided to take legal opinion about the correct

meaning and purport of the pre-bid reply of additional cargoes and to address TAMP for notification of tariff for additional cargoes.

(vi). Accordingly, VPT referred the subject matter to the external legal opinion. The legal counsel has opined to VPT that -

**"The existence of a clarification in a pre-bid meeting which is part and parcel of the Concession Agreement indicates that the request made to TAMP does not amount to post BID modification and is a legitimate commercial action initiated by the contracting parties herein in accordance with the law."**

[The VPT has furnished a copy of the legal opinion of Standing Counsel of VPT Shri P. Sriram.]

(vii). The VPT has stated that the bidders had prior information and knowledge of all the bidding parameters including upfront tariff fixed by TAMP, and the replies to all the queries raised by the prospective bidders in RFP stage. Therefore, consideration of additional cargoes may not be construed as post bid scenario.

(viii). The WQMPL under cover of its letter dated 5 July 2017 has appealed to VPT to request TAMP to fix tariff for the additional cargoes.

(ix). Keeping in view the gross under-utilisation of the WQ-6 berth and the request made by M/s.WQMPL, VPT proposes to consider the appeal of the WQMPL to handle the additional cargoes on **non-exclusive** basis. The additional cargoes will not be permitted to be handled at WQ-6 berth in case, the nominated/ designated cargo picks up in future and the terminal reaches its envisaged capacity.

(x). The port has furnished re-assessed capacity of WQ6 berth at the same level i.e. 2087435 tonnes (20.87 lakhs tonnes as assessed in the February 2009 Order). The capacity assessed in the 12 February 2009 Order and the reassessed capacity after adding the ten additional cargo allowed by the VPT to be handled by the WQMPL are given below:

A. Capacity of WQ-6 as in TAMP Order No.TAMP/39/2008-VPT dated 12 February 2009

| Cargo | % Share | Handling Rate (tonnes/ day) |
|---|---|---|
| Dry Bulk cargoes: | | |
| (i). CP Coke | 36% (S1) | 10000 (P1) |
| (ii). LAM Coke | 36% (S2) | 10000 (P2) |
| Break Bulk cargoes: | | |
| (i). Steel | 18% (S3) | 4000 (P3) |
| (ii). Granite blocks | 10% (S4) | 2500 (P4) |

Optimal Capacity in tonnes= 0.7*((S1*P1)+(S2*P2)+(S3*P3)+(S4*P4))*365
=0.7*{(36%*10000)+(36%*10000)+(18%*4000)+(10%*2500)}*365=2,087,43

B. Reassessed capacity by VPT in the current proposal considering 10 additional cargo items given roman number

| Cargo | % Share | Handling Rate (tonnes/ day) |
|---|---|---|
| Dry Bulk cargoes:<br><br>1 CP Coke,<br>2. LAM Coke<br>and additional cargoes viz., (i) PET Coke, (ii) Granulated Blast Furnace Slag, (iii) Aggregates in Bulk and (iv) Boulders, (v) Gypsum, (vi) Limestone, (vii) Bauxite, (viii) Manganese ore, (ix) fertilisers (finished & raw material) | 72% (S1) | 10000 (P1) |
| Break Bulk cargoes:<br>3. Steel<br>and additional cargo viz. (x) Fly Ash bags | 18% (S2) | 4000 (P2) |
| 4. Granite blocks | 10% (S3) | 2500 (P3) |

Optimal Capacity in tonnes = 0.7*((S1*P1)+(S2*P2)+(S3*P3))*365
= 0.7*{(72%*10000)+(18%*4000)+(10%*2500)}*365 = 2087435
The additional cargoes proposed to be handled viz., PET Coke, Granulated Blast Furnace Slag, Aggregates in Bulk & Boulders, Gypsum, Limestone, Bauxite, Manganese ore, fertilisers (finished & raw material) and fly ash bags are assigned on non-exclusive basis in order to improve the utilisation of the berth and make the project viable.

All the dry bulk cargoes are grouped under one category and fly ash bags is grouped with steel keeping in view the output rates stipulated vide Annex-V of Guidelines for upfront tariff setting for PPP projects at Major Port Trusts, 2008.

(xi). The VPT has maintained the total estimated ARR from the handling activity same as in February 2009 Order at ₹2570.59 lakhs. The port has furnished working for the handling rates by including the ten additional cargo following the same methodology in the February 2009 Order for the same estimated ARR.

(xii). The revised handling charge proposed by the VPT considering ten additional cargo items are as follows:

| Sl. No. | Commodity | Unit | Rate in Rupees | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Foreign | Coastal |
| (a). | CP Coke, LAM Coke | Per Metric Tonne | 78.50 | 47.10 |
| (b). | **Additional cargoes viz.,** | | | |
| (i). | **PET Coke,** | | | |
| (ii). | **Granulated Blast Furnace Slag,** | | | |
| (iii). | **Aggregates in Bulk,** | | | |
| (iv). | **Boulders,** | | | |
| (v). | **Gypsum,** | | | |
| (vi). | **Limestone,** | | | |
| (vii). | **Bauxite,** | | | |
| (viii). | **Manganese ore,** | | | |
| (ix). | **Fertilisers (finished & raw material)** | | | |
| (c). | **Additional break bulk cargo** | Per Metric Tonne | 202.30 | 121.40 |
| (i). | **viz., fly ash bags** | | | |
| (d). | Granite | Per Metric Tonne | 312.55 | 187.55 |

(xiii). The VPT has stated that the storage charges notified for WQ-6 berth needs a re-look as the methodology adopted differed from the upfront tariff arrived for two other projects of the VPT viz., Vizag General Cargo Berth (VGCB) and EQ-1 at the port, as a result of which the rates notified for WQ6 berth are on high side. The higher storage charges at WQ-6 as compared to other terminals within the same port is found inappropriate and defeats the basic principle of normative tariff besides adversely affecting the throughput at the terminal.

The methodology adopted in respect of WQ-6 is as under:

Parameters:
Capacity : 2.08 MTPA, Free period : Import : 5 days, Exports : 15 days
Cargo assumed to attract storage : 30%

Calculation:
Quantity of cargo attracting storage=2.08 MT * 30%=6.24 lakh tonnes
Estimated ARR from storage = ₹54 lakhs
Storage charges = ₹54/ 6.24 = ₹8.60

Note:
(a). The above rate of ₹8.60 is interpreted as rate per day per tonne for the first week after free period.

(b). However, since the rates is for the first week, it should be reckoned as ₹8.60/7 = ₹1.23 per tonne per day during the first week after free period; in similar lines to that worked out for VGCB and EQ-1 berths.

The VPT has, therefore, requested to review the storage charges in respect of WQ-6 project in the above lines and notify storage charges as under:

Storage charges:
Free period:
Export : 15 days
Import : 5 days

| Sl. No. | Duration | Per tonne per day or part thereof (in `) |
|---|---|---|
| 1. | First week after expiry of free period | 1.23 |
| 2. | Second week after expiry of free period | 2.46 |
| 3. | Beyond 2nd week | 4.92 |

(xiv). The VPT has stated that the matter is being put up for consideration of the Board in its ensuing meeting. TAMP is requested to notify tariff for the additional cargoes to be handled at WQ-6 berth on non-exclusive basis.

5. Bringing out the above position, the VPT has submitted the proposal for fixation of handling charges and storage charges for the additional cargoes to be handled at WQ-6 berth on non-exclusive basis. The VPT has further stated that it has prepared the proposal strictly adhering to the parameters considered by TAMP for determination of tariff viz., (i) the optimal capacity of 20.87 lakh tonnes of the terminal as estimated in February 2009 Order (ii) revenue requirement towards handling charges as estimated at ₹2570.59 lakhs as estimated in February 2009 Order and (iii) revenue requirement towards storage charges as estimated in the said Order. The VPT has further submitted that notification of the tariff for additional ten cargo items will enable optimal utilisation of the WQ-6 berth, increase the cargo throughput and revenue to the port.

6.1. To summarise, the handling charges approved by this Authority on upfront basis following the Upfront Tariff Guidelines of 2008 based on the proposal then filed by the VPT for the four cargo items in the tariff Order dated 12 February 2009 and the handling charges now proposed by the VPT in its proposal dated 19 September 2017 including handling charge for 10 additional cargo are tabulated below for comparison:

| **As per Tariff Order dated 12 February 2009** | | | | | **As per VPT proposal dated 19 September 2017** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Optimum Capacity:** 20.87 Lakh Tonnes | | | | | **Optimum Capacity:** 20.87 Lakh Tonnes | | | | |
| **Annual Revenue Requirement from handling activity:** `2570.59 Lakhs | | | | | **Annual Revenue Requirement from handling activity:** `2570.59 Lakhs | | | | |
| **Schedule- 3 Cargo Handling charges in the SOR** | | | | | **Schedule- 3 Cargo Handling charges** | | | | |
| **Sl. No.** | **Commodity** | **Unit** | **Rate in Rupees** | | **Sl. No.** | **Commodity** | **Unit** | **Rate in Rupees** | |
| | | | **Foreign** | **Coastal** | | | | **Foreign** | **Coastal** |
| (a). | CP Coke | Per Metric Tonne | 78.50 | 47.10 | (a). | CP Coke, LAM Coke. | Per Metric Tonne | 78.50 | 47.10 |
| (b). | LAM Coke | Per Metric Tonne | 78.50 | 47.10 | (b). | Additional cargoes viz., | | | |
| | | | | | (i). | PET Coke, | | | |
| | | | | | (ii). | Granulated Blast Furnace Slag, | | | |
| | | | | | (iii). | Aggregates in Bulk, | | | |
| | | | | | (iv). | Boulders, | | | |
| | | | | | (v). | Gypsum, | | | |
| | | | | | (vi). | Limestone, | | | |
| | | | | | (vii). | Bauxite, | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (viii).<br>(ix). | Manganese ore, fertilisers (finished & raw material) | | | |
| (c). | Steel | Per Metric Tonne | 202.30 | 121.40 | (c). (i). | Steel and additional cargo viz., fly ash bags | Per Metric Tonne | 202.30 | 121.40 |
| (d). | Granite Blocks | Per Metric Tonne | 312.55 | 187.55 | (d). | Granite | Per Metric Tonne | 312.55 | 187.55 |

As can be seen from the above table, the optimum capacity of WQ-6 berth, annual revenue requirement from the handling activity and the tariff for the cargo items have been maintained intact. However, the VPT has enlarged the cargo items in its proposal dated 19 September 2017.

6.2. As stated earlier, before commencement of operation, the WQMPL approached this Authority for Notification of Scale of Rate (SOR) in its name. Accordingly, the SOR was notified in the name of WQMPL capturing the indexation factor vide Order No.TAMP/49/2015-VPT dated 4 September 2015. In the indexed SOR notified in the name of WQMPL in Order No.TAMP/49/2015-VPT dated 4 September 2015 the handling charge prescribed for the four cargo items are as follows:

**Schedule - 3 Cargo Handling charges**

| Sl. No. | Commodity | Unit | Rate in ` | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Foreign | Coastal |
| (a). | CP Coke | Per Metric Tonne | 106.04 | 63.62 |
| (b). | LAM Coke | Per Metric Tonne | 106.04 | 63.62 |
| (c). | Steel | Per Metric Tonne | 273.27 | 163.96 |
| (d). | Granite Blocks | Per Metric Tonne | 422.19 | 253.32 |

Notes: The handling charges prescribed above is a composite charge for (i) unloading of the cargo from the vessel including stevedoring and transfer of the same up to the point of storage, storage at the stackyard up to a free period of 5 days and loading on to trucks in respect of import cargo and (ii) unloading of the cargo from the trucks at the stackyard, storage at the stackyard up to a period of 15 days, transfer the cargo to the loading point and loading onto the ship including stevedoring. This composite charge includes wharfage and supply of labour, wherever necessary and all other miscellaneous charges not specifically prescribed in the Scale of Rates.

7.1. The VPT has also proposed to review the storage charges. The storage charges approved in the upfront tariff Order dated 12 February 2009 and the revised storage charges proposed in the proposal dated 19 September 2017 are tabulated below for comparison:

| **Storage charges as per Tariff Order dated 12 February 2009** | | | **Storage charges as per VPT proposal dated 19 September 2017** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (A). | **Free period**: | | (A). | **Free period**: | |
| | Import cargo | 5 days free | | Export cargo | 15 days |
| | Export cargo | 15 days free | | Import cargo | 5 days |
| (B). | **Storage charges after free period (per tonne per day)** | | (B). | **Storage charges after free period (per tonne per day)** | |
| | **Description** | **Rate in Rs. per tonne per day** | | **Duration** | **Per tonne per day or part thereof (in Rs.)** |
| | First week after expiry of free period | Rs.8.60 | | First week after expiry of free period | 1.23 |
| | 2nd week after expiry of free period | Rs.12.90 | | Second week after expiry of free period | 2.46 |
| | Beyond 2nd week | Rs.17.20 | | Beyond 2nd week | 4.92 |

7.2. As regards the modification proposed by the VPT on storage charges, as shown above the table, it is relevant here to state that the WQMPL had challenged the storage charges (apart from berth hire charges) fixed in the upfront tariff Order dated 12 February 2009 before the Hon'ble High Court of Judicature at Hyderabad for the State of Telangana and the State of Andhra Pradesh on the ground that

TAMP has erroneously fixed high storage charges for the WQ-6 berth as compared to the low storage charges fixed for the VPT and prayed before the Hon'ble High Court in its Writ Petition No.28595 of 2017 to quash the storage charges (and berth hire charges) and direct the TAMP to fix fresh tariff for storage charges (and berth hire charges).

7.3. The Hon'ble High Court in its Order dated 14 December 2017 has directed that this Authority to consider and dispose of the representation dated 16 June 2017 and 30 June 2017 of the WQMPL after affording an opportunity of being heard to the petitioner i.e. WQMPL and to the VPT.

7.4. In compliance of the Order passed by the Hon'ble High Court in the Writ Petition No.28595 of 2017, this Authority has passed an Order No.TAMP/85/2017-VPT dated 18 May 2018 disposing of the representations of WQMPL dated 16 June 2017 and 30 June 2017 after giving opportunity to the WQMPL and VPT.

7.5. The said Order was notified in the Gazette of India vide Gazette No.226 dated 12 June 2018. The TAMP has intimated VPT, WQMPL about the said Order. Also intimated, our Advocate-on-record to bring out the position to the Hon'ble High Court of Judicature at Hyderabad for the State of Telangana and the State of Andhra Pradesh.

7.6. In the said Order passed by this Authority dated 18 May 2018, this Authority has modified the Storage Charges as given below:

(i). **Storage charge approved in upfront tariff schedule for multipurpose berth in the Order No.TAMP/39/2008-VPT dated 12 February 2009 under Schedule 4 B - Storage Charges per tonne per day shall stand modified as follows**:

| Description | Rate in ` per tonne per day |
|---|---|
| First week after expiry of free period | `1.24 |
| 2nd week after expiry of free period | `1.86 |
| Beyond 2nd week | `2.48 |

(ii). **Storage charge under Schedule 4 B - Storage Charges per tonne per day notified in the Order No.TAMP/49/2015-VPT dated 4 September 2015 notifying the Scale of Rates in the name of WQMPL shall stand modified as follows**:

| Description | Rate in ` per tonne per day |
|---|---|
| First week after expiry of free period | `1.67 |
| 2nd week after expiry of free period | `2.51 |
| Beyond 2nd week | `3.34 |

7.7. To summarise, of the two items of the proposal of the VPT for (i). i.e. Revised handling charge to include 10 additional cargo items and (ii). Review of storage charge, the second part of the proposal is already taken care in the Order No.TAMP/85/2017-VPT dated 18 May 2018 in compliance of the Order passed by the Hon'ble High Court in the Writ Petition No.28595 of 2017 filed by the WQMPL.

7.8. Thus, the matter before this Authority is limited to approval for handling charge for the additional ten cargo items same as brought in the earlier paragraph.

8.1. The upfront tariff fixation guidelines of 2008 do not lend scope for review of upfront tariff during the currency of the project, in a post bid scenario. Since a review clause is absent in the upfront tariff fixation guidelines of 2008 to review the tariff or cargo profile during the currency of the project and bearing in mind that the VPT proposed to permit the WQMPL to handle the additional ten cargo items on non-exclusive basis and levy the tariff at the rates approved by this Authority for the four cargo items and withdraw the permission in case the nominated/ designated four cargo items pick up in future and the terminal reaches its envisaged capacity, the Ministry of Shipping (MOS) vide our letter dated 1 November 2017 was requested to examine and direct us on the matter to consider the proposal of VPT.

8.2. The VPT has also vide its e-mail dated 4 December 2017 requested MOS to issue necessary direction to this Authority for notification of tariff for additional cargoes proposed in the proposal of VPT dated 19 September 2017.

8.3. In this regard, the MOS vide its letter No.IWT-11/33/2018-DD(DW) dated 21 May 2018 has clarified the following to this Authority:

*"Clarification provided during the pre-bid meeting by VPT is part and parcel of the Concession Agreement and fixing of rates for additional cargo is a part of the Concession Agreement. Therefore, observation of TAMP that this is a post bid change, is not substantiated. Accordingly,*

*TAMP is requested to take further necessary action on the proposal of VPT as per clarification given during the pre-bid meeting and Concession Agreement."*

9.1. The VPT has vide letter No.IRNP/STDS/PPP-GL/2016/113 dated 23 August 2016 earlier furnished a copy of Concession Agreement dated 31 July 2010 entered between VPT and WQMPL. Relevant extract of Clause 1.3 - Interpretation under Article 1 of the said Licence Agreement is reproduced below:

"1.3. Interpretation

***"This Agreement constitutes the entire understanding between the Parties regarding the Project and supersedes all previous written and / or oral representations and / or arrangements regarding the Project. If there is any aspect of the Project not covered by any of the provisions of this Agreement, then and only in that event, reference may be made by the parties to the bid documents, inter alia including the RFP and RFQ documents, issued by the Concessioning Authority and also including addendums, clarifications given in writing in the pre-bid meeting and the submissions of the Concessionaire and the bid submitted by the Concessionaire but not otherwise. In case of any contradictions in the terms of this Agreement and any such other bid documents as referred to above, the terms of this Agreement shall prevail."***

9.2. It is relevant here to note that the said clause of the Concession Agreement includes the Bid Document invited by the VPT, addendums and corrigendum to the Bid document issued by the VPT, copy of the letter No.IENG/EE(PROJECTS)/WQ6/Pt.VIII/262 dated 19/20 October 2009 issued by the VPT to the short listed bidders giving a statement of queries raised by short listed bidders and clarification of the VPT thereon amongst other items.

The relevant query raised by prospective bidder and the clarification furnished by the VPT to the prospective bidder ABG Infralogistics Ltd. at B. Commercial Sl. No.15 from the said statement in the said letter of VPT dated 19/20 September 2009 is reproduced below:

Commercial:

| Sl. No. | Page No. | Clause No. | Content of the clause | Queries/comments & suggestions with relevant reasons/remarks | Remarks of the VPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | | | Can the WQ-6 berth handle other cargo (other than CP coke, LAM coke, steel and Granite blocks) | In case of non-availability of indicative cargoes, which is unlikely, Port will permit positively other cargoes that can be handled at this berth subject to approval of TAMP. |

10. In view of the clarification received from MOS vide fax dated 21 May 2018 as brought out in the earlier paragraphs, this case was taken up for processing.

11.1. In accordance with the consultation process prescribed, a copy of the VPT proposal dated 19 September 2017 was circulated to the WQMPL and users/ potential users/ users bodies (as consulted in File No.TAMP/39/2008-VPT) seeking their comments. We have received comments only from M/s.K. Ramabrahman & Sons Private Limited, which was forwarded to VPT as feedback information. The VPT vide its e-mail dated 14 June 2018 has furnished its reply.

11.2. A joint hearing on this case was held on 18 June 2018 at VPT premises. At the joint hearing, the VPT and the concerned users/ user organisations have made their submissions at the joint hearing.

12.1. As agreed at the joint hearing, the Vizag Seaport Private Limited (VSPL) vide its letter dated 20 June 2018 has furnished its comments.

12.2. As agreed at the joint hearing, the VPT vide our letter dated 26 June 2018 followed by reminder dated 11 July 2018 was requested to take action on the following points:

(i). To furnish a copy of Board resolution approving handling rate for ten additional cargo as agreed by VPT at the joint hearing.

(ii). As agreed at the joint hearing, the VSPL has vide its letter dated 20 June 2018 furnished its comments on the subject proposal. A copy of the comments received from VSPL was forwarded to VPT for point-wise comments of VPT.

13. With reference to the action point no.12.2. (ii) above, the VPT vide its email dated 23 August 2018 has furnished its reply to the comments of VSPL.

14.1. Further, the Indian Private Ports and Terminals Association (IPPTA) an umbrella body of private terminal operators has vide its letter dated 27 June 2018 furnished its comments on the subject proposal filed by VPT.

A copy of the IPPTA letter dated 27 June 2018 was forwarded to VPT with a request to furnish point-wise comments on the points made by IPPTA.

14.2. In response, the VPT vide its email dated 23 August 2018 has furnished its comments. The IPPTA has mostly reiterated the comments furnished by VSPL dated 20 June 2018. The VPT has also reiterated its comments furnished vide its letter dated 23 August 2018 on the comments of VSPL while furnishing comments on IPPTA comments.

15.1. With reference to the action point no.12.2. (i) above, the VPT vide its e-mail dated 28 August 2018 has furnished the copies of three Board resolutions of the Board of Trustees of the VPT approving handling for ten additional cargo items by the WQMPL. The relevant parts of the approval of the Board of Trustees of the VPT with reference to the subject proposal are as given below:

(i). The VPT Board of Trustees in its meeting held on 6 November 2015 vide Resolution No.180/2015-16 has approved the following:

(a). To permit handling of PET COKE also at the WQ-6 berth and to collect charges for Pet coke on par with LAM Coke provisionally and to submit the proposal to TAMP for fixation of tariff upon receipt of proposal from the concessionaire M/s.West Quay Multiport Pvt. Ltd.

(b). Not to handle gearless vessels with designated cargoes of WQ-6 including Pet Coke at VPT's own berths till end of exclusivity period, in order to put the existing facilities to optimum use.

(ii). The VPT Board of Trustees in its meeting on 17 June 2016 vide Resolution No.50/ 2016-17 has approved the following:

(a). To consider the handling of Dry Bulk Cargoes viz. Granulated Blast Furnace Slag, Bagged Fly Ash, Aggregates in Bulk & Boulders as requested by M/s.WQMPL as the berth is not fully utilized subject to approval of tariff by the TAMP and also in the even necessary modification/ amendment required in CFO for West Quay-6 Berth from APPCB.

(iii). The VPT Board of Trustees in its meeting on 13 October 2017 vide Resolution No.71/2017-18 has approved the following:

(a). The Concessionaire may be allowed to handle Gypsum, Limestone, Bauxite, Manganese Ore, Fertilizers on non-exclusive basis subject to declaration of tariff by TAMP and necessary modification of EC, CFO conditions if any and also subject to the condition that the concessionaire withdraws their claim of exclusivity as well as consultation notice issued by them.

The Concessionaire may be allowed to handle the above said cargoes for a period of 5 (five) years from the scheduled project completion date or the average annual volume of cargo handled at the project facilities and services reaches a level of 75% of project capacity for 2 (two) consecutive years whichever is earlier and continuation of permission to handle the above cargoes may be reviewed thereafter.

15.2. Thus, as the per the above said three resolutions of Board of Trustees of the VPT, the Board has approved handling of ten additional cargo viz. Pet coke, Granulated Blast Furnace Slag, Bagged Fly Ash, Aggregates in Bulk, & Boulders, Gypsum, Limestone, Bauxite, Manganese Ore, Fertilizers. The last Board resolution approved to allow Concessionaire to handle the additional cargoes for a period of 5 (five) years from the scheduled project completion date or the average annual volume of cargo handled at the project facilities and services reaches a level of 75% of project capacity for 2 (two) consecutive years whichever is earlier and continuation of permission to handle the above cargoes may be reviewed thereafter.

16. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.

17. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

(i). The proposal mooted by the Visakhapatnam Port Trust (VPT) seeks approval of this Authority for handling charges of ten additional cargo to be handled by the Concessionaire M/s.West Quay Multiport Private Limited (WQMPL) at West Quay (WQ) Berth No.6 at VPT.

(ii). The main grounds cited by the VPT for filing the current proposal seeking approval of handling charge for ten additional cargo are:

(a). The WQ-6 berth is grossly underutilized and not able to meet the Minimum Guaranteed Cargo (MGC) throughput of 0.52 MT. During the year 2015-16, the berth was occupied for 28 days and a quantity of 1.27 lakh tonnes of cargo was handled. In the year 2016-17, the terminal was occupied for 63 days and 4.13 lakh tonnes was handled during the year 2016-17.

(b). To improve the utilization of the berth, all the possibilities within the ambit of the Concession Agreement are explored by the port.

(c). At the pre-bid stage itself, the VPT has replied to one of the queries raised by the prospective bidders that in case of non-availability of indicative cargoes, which is unlikely, Port will permit positively other cargoes that can be handled at this berth subject to approval of this Authority.

(d). The Port obtained legal opinion about the correct meaning and purpose of the pre-bid reply furnished by VPT. The relevant concluding para of the opinion of the Standing Counsel vide e-mail dated 31 July 2017 to VPT is reproduced below:

*"The existence of a clarification in a pre-bid meeting which is part and parcel of the Concession Agreement indicates that the request made to TAMP does not amount to post BID modification and is a legitimate commercial action initiated by the contracting parties herein in accordance with the law."*

(iii). This Authority has, vide Order No.TAMP/39/2008-VPT dated 12 February 2009, approved upfront tariff based on the proposal of VPT and after consultation with stakeholders and prospective bidders including the Applicant of WQMPL viz. ABG Infralogistics Limited. The said Order was passed by this Authority following the upfront tariff guidelines of 2008 issued by the Ministry of Shipping (MOS). The upfront tariff approved by this Authority is subject to only automatic annual indexation at 60% of the WPI during the project period.

The upfront tariff guidelines of 2008 do not prescribe provision to review the upfront tariff notified by this Authority in a post bid scenario. The crux of this proposal is that during the pre-bid stage itself the VPT has clarified that port will permit other cargoes that can be handled at the Berth No.WQ-6 subject to approval of this Authority in case of non-availability of designated four cargo items. Thus, in the contention of the VPT, the prospective bidders prior to bidding during the pre-bidding stage itself were made known by the VPT that in case of non-availability of indicative cargoes, Port will positively permit handling of other cargo at WQ-6 berth subject to approval of this Authority.

(iv). The mandate given to this Authority is to fix tariff exercising the powers conferred on this Authority as per the relevant provisions of the Major Port Trusts Act, 1963. This Authority is also mandated to follow the tariff guidelines issued by the Government from time to time under Section 111 of the Act as its policy directions. From the view point of this Authority, the clarification given by the VPT, as brought out above, during the pre-bidding process to allow the successful bidder to handle additional cargo in the event of non-availability of designated cargo and the bid document becoming part of Concession Agreement entered between the parties is a contractual obligation of VPT. This Authority is not a party to the contract between the parties; whereas the tariff guidelines issued by the Government is binding on this Authority.

(v). Therefore, in the absence of review clause in the upfront tariff fixation guidelines of 2008 to review the cargo profile during the currency of the project in the post bid scenario,

MOS was requested vide our letter dated 1 November 2017 to examine the matter to issue direction to this Authority to consider the proposal of VPT. In this regard, the MOS vide its letter No.IWT-11/33/2018-DD (DW) dated 21 May 2018 has clarified that clarification provided during the pre-bid meeting by VPT is part and parcel of the Concession Agreement and fixing of rates for additional cargo is a part of the Concession Agreement. Therefore, observation of TAMP that this is a post bid change, is not substantiated. Accordingly, the MOS has requested this Authority to take further necessary action on the proposal of VPT as per clarification given during the pre-bid meeting and Concession Agreement.

(vi). The MOS, being an Apex Authority for both this Authority and VPT, is in a position to recognise the Concession Agreement so far as granting permission to the WQMPL by VPT to handle additional cargo and the obligation of this Authority to fix tariff for the said additional cargo. Since this Authority is governed by the upfront tariff guidelines of 2008 on the matter in reference, it could not recognise its obligation under the Concession Agreement to fix tariff for the additional cargo.

(vii). If the respective position of the MOS and this Authority is understood in a right perspective and considering the Legal opinion produced by VPT, the point made by the VSPL that the proposal of the VPT is a post bid scenario is found to be misplaced and does not merit consideration. In fact, the seed for fixation of tariff for additional cargo items was sown during the pre-bid stage itself.

(viii). The Board of Trustees of VPT have accorded approval to the WQMPL for handling of the ten additional cargo for which the VPT has approached this Authority for fixation of tariff for handling charge till the nominated/ designated cargo picks up in future and the terminal reaches its envisaged capacity. Unless tariff is fixed for the additional cargo in reference, the VPT will not be in a position to discharge its contractual obligation. Therefore, the proposal is processed further for approval for the handling charge for ten additional cargo. The Scale of Rates approved by this Authority by tariff Order dated 12 February 2009 forms part of the bidding document. The WQMPL would have quoted the revenue share payable to the VPT based on the revenue stream during the project period of 30 years calculated based on the Scale of Rates approved in February 2009. The schedule relating to handling charges fixed for the designated cargo forms part of the Scale of Rates; and, the handling charges are prescribed to realise the estimated Annual Revenue Requirement (ARR) of ₹2,570.99 lakhs operating the berth at the optimal capacity of 20,87,435 tonnes per annum. Therefore, the optimal capacity at 20,87,435 tonnes as considered in the upfront tariff Order of 12 February 2009 and ARR as estimated at ₹2,570.99 lakhs from the handling charge are to be maintained which was considered by this Authority to arrive at upfront handling charge for four cargo items in the upfront tariff Order dated 12 February 2009.

(ix). (a). The VSPL has vehemently objected the current proposal of VPT. The Indian Private Ports and Terminals Association (IPPTA), an umbrella body of private terminal operators, has also reiterated the points made by VSPL. Apart from VSPL and IPPTA, no other users/ user associations have objected the proposal of VPT. In fact, M/s.K. Ramabrahman & Sons Private Limited have categorically stated that they have no objection for the facility to be utilized for bulk cargo till such time WQ-6 pickup and reach the designated capacity.

(b). As regards the point made by VSPL and IPPTA that the pre-bid clarification is vague with regard to interpretation of few words cited by it, the VPT has categorically stated that there is no ambiguity in the reply given by VPT during the pre-bid meeting with regard to consideration of other cargoes at the terminal in the event of non-availability of indicative cargoes. The VPT has clarified that the project was planned based on the traffic volumes projected for the indicative cargoes and project viability as part of Techno Economic Feasibility Report (TEFR). However, in order to avoid any possible risk of the project becoming unviable which cannot be foreseen at the time of bidding, VPT had taken a stand that it will permit positively other cargoes that can be handled at this berth subject to approval of this Authority. The clause "cargoes that can be handled" clearly indicates that the port will permit only those cargoes which are not

designated and specified to other PPP terminals; so as not to be detrimental to the business interests of other operators. The VSPL is awarded on BOT basis for handling multi cargoes and no exclusivity exists with regard to the additional cargoes proposed. Thus, the VPT has clarified the position on the point raised by the VSPL and IPPTA.

(c). The VSPL has pointed out that this Authority is not the approving Authority for permitting handling of additional cargo to be handled by BOT operator. In this regard, it is to state that the mandate of this Authority is to determine the rates among other rates, for cargo related services provided by Major Port Trusts and service providers authorised by Major Port Trusts.

In the instant case, the Board of Trustees of the VPT has decided to permit WQMPL to handle additional ten cargo items for reasons brought out earlier. The Port has also furnished approval of the Board of Trustees in this regard. The VPT has approached this Authority seeking approval of handling charge for the ten additional cargo based on approval of its Board. The MOS has also given clarification in the matter and requested this Authority to take further necessary action as per the clarification given during the pre-bid meeting and Concession Agreement as brought out in the earlier paragraph. This Authority is well within its power under the statute to fix the tariff for handling charge for cargo handling services provided by BOT operator authorised by the VPT. It has to be recognised that unless tariff is fixed for additional cargo, the VPT will not be in a position to discharge its contractual obligation under the Concession Agreement, as stated earlier.

(d). Another point made by the VSPL is that it would set wrong precedent with similar claims from other BOT operators leading to chaos. It is relevant here to reiterate that this matter arises from the clarification furnished by VPT during the pre-bid stage and that clarification in pre-bid meeting formed part and parcel of the bidding process and the Concession Agreement.

If some other BOT operators are aggrieved and stressed, Government has evolved a redressal mechanism. A Committee constituted by MOS under Indian Ports Association (IPA) has given the report wherein a mechanism is made available to all the Major Port Trusts to bring out the stressed PPP projects. The MOS vide letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 has directed all Major Port Trusts to adopt the procedure prescribed therein for review of projects periodically for optimum utilization of the facility created.

The instant case is different as the matter flows from the clarification issued by VPT during the bidding process in pre-bid stage itself and the clarification furnished by the VPT to the short listed bidders formed part and parcel of the bidding process and the Concession Agreement.

(e). As regards the point made by the VSPL to clarify that no hook point delivery is to be allowed as there is no provision to fix tariff for such activity under 2008 guidelines. As rightly clarified by VPT, the proposal seeks tariff for additional ten cargo for composite handling charge. As per note below the Schedule 3 in the Order dated 12 February 2009 and indexed Scale of Rates approved in the name of WQMPL vide Order dated 4 September 2015, the handling charges prescribed in the schedule is a composite rate for (i) unloading of the cargo from the vessel including stevedoring and transfer of the same upto the point of storage, storage at the stackyard upto a free period of 5 days and loading onto trucks in respect of import cargo and (ii) unloading of the cargo from the trucks at the stackyard, storage at the stackyard upto a free period of 15 days, transfer of the cargo to the loading point and loading onto the ship including stevedoring. The component of services in the composite handling charges for the ten additional cargo will continue to be governed by the existing note prescribed in the existing Scale of Rates of WQMPL.

(x). In the upfront tariff Order dated 12 February 2009, the handling charge prescribed is for four cargo items. As against that, the VPT has now proposed handling charge for nine additional dry bulk cargo at par with the existing rate for Lam coke and for fly ash bag at par with rate prescribed for Steel. While proposing the handling charge for ten additional cargo items, the VPT has maintained the optimal capacity at 2087435 tonnes (20.87 lakhs tonnes) as assessed in February 2009 Order and ARR estimated from the handling charge is also the same at ₹2,570.99 lakhs as considered in the said Order for arriving at the upfront handling charge. The methodology followed by VPT for distribution of overall capacity of 20.87 lakhs tonnes is given below:

A. Capacity of WQ-6 as in TAMP Order No.TAMP/39/2008-VPT dated 12 February 2009

| Cargo | % Share | Handling Rate (tonnes/ day) |
|---|---|---|
| Dry Bulk cargoes: | | |
| (i). CP Coke | 36% (S1) | 10000 (P1) |
| (ii). LAM Coke | 36% (S2) | 10000 (P2) |
| Break Bulk cargoes: | | |
| (i). Steel | 18% (S3) | 4000 (P3) |
| (ii). Granite blocks | 10% (S4) | 2500 (P4) |

Optimal Capacity in tonnes= 0.7*((S1*P1)+(S2*P2)+(S3*P3)+(S4*P4))*365
=0.7*{(36%*10000)+(36%*10000)+(18%*4000)+(10%*2500)}*365=2,087,435

B. Reassessed capacity by VPT in the current proposal considering 10 additional cargo items given roman number

| Cargo | % Share | Handling Rate (tonnes/ day) |
|---|---|---|
| Dry Bulk cargoes:<br><br>1 CP Coke,<br>2. LAM Coke<br>and additional cargoes viz., (i) PET Coke, (ii) Granulated Blast Furnace Slag, (iii) Aggregates in Bulk and (iv) Boulders, (v) Gypsum, (vi) Limestone, (vii) Bauxite, (viii) Manganese ore, (ix) fertilisers (finished & raw material) | 72% (S1) | 10000 (P1) |
| Break Bulk cargoes:<br>3. Steel<br>and additional cargo viz. (x) Fly Ash bags | 18% (S2) | 4000 (P2) |
| 4. Granite blocks | 10% (S3) | 2500 (P3) |

Optimal Capacity in tonnes = 0.7*((S1*P1)+(S2*P2)+(S3*P3))*365
= 0.7*{(72%*10000)+(18%*4000)+(10%*2500)}*365 = 2087435

The additional cargoes proposed to be handled viz., PET Coke, Granulated Blast Furnace Slag, Aggregates in Bulk & Boulders, Gypsum, Limestone, Bauxite, Manganese ore, fertilisers (finished & raw material) and fly ash bags are assigned on non-exclusive basis in order to improve the utilisation of the berth and make the project viable.

All the dry bulk cargoes are grouped under one category and fly ash bags is grouped with steel keeping in view the output rates stipulated vide Annex-V of Guidelines for upfront tariff setting for PPP projects at Major Port Trusts, 2008.

(xi). The assessed optimal capacity, estimated ARR and handling charges for four cargo items prescribed in February 2009 Order and that proposed now by including ten additional cargo as brought out in the earlier paragraphs is reproduced here for ease of reference:

| As per Tariff Order dated 12 February 2009 | | | | | As per VPT proposal dated 19 September 2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Optimum Capacity:** 20.87 Lakh Tonnes | | | | | **Optimum Capacity:** 20.87 Lakh Tonnes | | | | |
| **Annual Revenue Requirement from handling activity:** `2570.59 Lakhs | | | | | **Annual Revenue Requirement from handling activity:** `2570.59 Lakhs | | | | |
| **Schedule- 3 Cargo Handling charges in the SOR** | | | | | **Schedule- 3 Cargo Handling charges** | | | | |
| **Sl. No.** | **Commodity** | **Unit** | **Rate in Rupees** | | **Sl. No.** | **Commodity** | **Unit** | **Rate in Rupees** | |
| | | | **Foreign** | **Coastal** | | | | **Foreign** | **Coastal** |
| (a). | CP Coke | Per Metric Tonne | 78.50 | 47.10 | (a). | CP Coke, LAM Coke. | Per Metric Tonne | 78.50 | 47.10 |
| (b). | LAM Coke | Per Metric Tonne | 78.50 | 47.10 | (b). (i). (ii). (iii). (iv). (v). (vi). (vii). (viii). (ix). | Additional cargoes viz., PET Coke, Granulated Blast Furnace Slag, Aggregates in Bulk, Boulders, Gypsum, Limestone, Bauxite, Manganese ore, fertilisers (finished & raw material) | | | |
| (c). | Steel | Per Metric Tonne | 202.30 | 121.40 | (c). (i). | Steel and additional cargo viz., fly ash bags | Per Metric Tonne | 202.30 | 121.40 |
| (d). | Granite Blocks | Per Metric Tonne | 312.55 | 187.55 | (d). | Granite | Per Metric Tonne | 312.55 | 187.55 |

From the above table, it can be seen that the VPT has clubbed existing CP coke and LAM coke for which same rate is prescribed under the first item. Apart from that, the VPT has added nine additional cargo items as given at Sl. No.(b)(i) to (ix) above and proposed the rate at par with the rate prescribed in February 2009 Order for LAM coke and CP coke. Further, for one additional cargo viz. Fly ash bags Sl. No.(c)(i), the Port has proposed the rate at par with the rate prescribed for Steel.

The upfront tariff guidelines of 2008 for multipurpose cargo berth prescribes productivity norms for dry bulk cargo, coal, limestone, minerals, etc., at 10,000 per day. The upfront tariff guidelines do not prescribe cargo-wise handling rate for dry bulk cargo. The productivity considered by VPT for dry bulk cargo LAM coke and CP coke in February 2009 Order is 10,000 T/ day and steel the productivity considered in the said Order is as prescribed in the upfront tariff guidelines of 2008 at 4,000 T/ day for steel and bagged cargo under break bulk cargo.

The port has stated that all dry bulk cargoes including the nine additional dry bulk are grouped under one category and fly ash bags is grouped with steel keeping in view the output rates stipulated vide Annex-V of Guidelines for upfront tariff setting for PPP projects at Major Port Trusts, 2008. The port, while furnishing comments on the comments of one of the users, has stated that handling of additional ten cargo will be similar to the handling method followed for the four cargo for which tariff is prescribed

in February 2009 Order. Based on the clarification furnished by the port, this Authority goes with the proposal of the port.

(xii). (a). In the original proposal, the VPT sought approval of handling charges for additional ten cargo only till such time the volume of designated cargoes picks up and terminal reaches the envisaged capacity. While furnishing clarification to one of the points raised by VSPL, the VPT has proposed the handling charge for ten additional cargo till terminal reaches the designed capacity. The VPT has used the words "designed capacity" in its comments.

In this context, it is relevant here to state that the upfront tariff approved by this Authority in February 2009 Order is for the "optimal capacity" assessed by VPT and considered by this Authority at 2087435 tonnes (20.87 lakhs tonnes). The handling charge proposed by VPT for ten additional cargo also retains the optimal capacity at 20.87 lakh tonnes. Hence, it is appropriate to link the handling charge approved for ten additional cargo items to "optimal capacity" of 20.87 lakh tonnes instead of terms "designed capacity" mentioned by VPT.

(b). As stated earlier, the Board of Trustees of VPT has accorded approval to the Concessionaire to handle ten additional cargo items in three Board resolutions passed at different dates. It is pertinent here to state that in the latest resolution of Board of Trustees of VPT dated 13 October 2017, the Board of Trustees of VPT has approved Concessionaire WQMPL to handle the additional cargo specified subject to declaration of tariff by TAMP and other non-tariff conditions to be met by WQMPL. The Board approval is for a period of 5 (five) years from the scheduled project completion date or the average annual volume of cargo handled at the project facilities and services reaches a level of 75% of project capacity for 2 (two) consecutive years whichever is earlier and continuation of permission to handle the above cargoes is subject to review by VPT thereafter. The five years period has already started from the scheduled project completion date. The scheduled project completion date and the date on which the five year period ends remain unexplained in the Board Resolution. If only the other part of the Board Resolution that the average annual volume of cargo handled at the project facilities reaches a level of 75% of project capacity for two consecutive years is retained, it may be an open ended condition. Therefore, this Authority, while approving the handling charges sought by the VPT for ten additional cargo as proposed by the VPT, accords approval for handling charge of ten additional cargo items by the operator i.e. WQMPL to handle the additional ten cargo till WQMPL reaches a level of 75% of optimal capacity i.e. 20.87 lakhs tonnes for 2 (two) consecutive years subject to review by VPT on completion of 5 years from the scheduled project completion date.

It is also brought out that the VPT being the Licensor Port shall ensure that on completion of period of 5 (five) years from the scheduled project completion date and WQMPL reaches a level of 75% of optimal capacity i.e. 20.87 lakhs tonnes for 2 (two) consecutive years, the WQMPL immediately ceases to handle the ten additional cargo for which the handling charge is approved by this Authority based on the proposal of the VPT.

Further, by way of abundant caution, this Authority also stipulates that handling charge approved for the ten additional cargo in the current exercise will automatically cease to apply after the project facility reaches a level of 75% of optimal capacity i.e.20.87 lakhs tonnes for 2 (two) consecutive years and which shall be subject to review by VPT on completion of 5 years from the scheduled project completion date. A Note in this regard is prescribed and inserted in the Scale of Rates.

(c). The VPT has also agreed to implement this proposal in a fully transparent manner. The VPT being the Licensor Port is, therefore, requested to furnish the quarterly physical performance including the cargo-wise volume handled and financial performance of WQMPL within 15 days on the end of each quarter and

annual performance within 2 months at the end of the financial year to this Authority.

The above points shall address the point made by VSPL about transparent implementation of this proposal of VPT and mechanism of enforceability to stop once WQMPL reaches the stated optimal capacity.

(xiii). As regard the point made by M/s.K. Ramabrahman & Sons Private Limited, it is to state that the existing note under the schedule explicitly states that the composite handling charge includes wharfage and supply of labour, wherever necessary and all other miscellaneous charges not specifically prescribed in the Scale of Rates. The said note will continue to be applicable for the additional ten cargo as well.

(xiv). (a). As regards the modification proposed by the VPT on storage charges, the WQMPL had challenged the storage charges fixed in the upfront tariff Order dated 12 February 2009 before the Hon'ble High Court of Judicature at Hyderabad for the State of Telangana and the State of Andhra Pradesh on the ground that TAMP has erroneously fixed high storage charges for the WQ-6 berth as compared to the low storage charges fixed for the VPT and prayed before the Hon'ble High Court in its Writ Petition No.28595 of 2017 to quash the storage charges and direct the TAMP to fix fresh tariff for storage charges. The Hon'ble High Court in its Order dated 14 December 2017 has directed that this Authority to consider and dispose of the representation dated 16 June 2017 and 30 June 2017 of the WQMPL after affording an opportunity of being heard to the petitioner i.e. WQMPL and to the VPT.

In compliance of the Order passed by the Hon'ble High Court in the Writ Petition No.28595 of 2017, this Authority after following the prescribed consultation process with the VPT and WQMPL and after giving opportunity of hearing to both has passed an Order No.TAMP/85/2017-VPT dated 18 May 2018 disposing of the representations of WQMPL dated 16 June 2017 and 30 June 2017. In the said Order, the storage charges has been rectified by this Authority and the revised (reduced) storage charge has been brought out in para as 7.6. above and hence not reiterated for the sake of brevity. That being so, the point made by the VPT for review of storage charge of the WQ6 project has already been addressed by this Authority in the said Order dated 18 May 2018.

(b). Storage charge and miscellaneous charge will be applicable for the additional ten cargo items also.

(xv). Since this Authority has notified the Scale of Rates in the name of the WQMPL and recognising that the rates approved for ten additional cargo items is for specified time, as stated in previous paragraphs, it is appropriate that the revised composite handling charge for ten additional cargo are prescribed separately in the indexed Scale of Rates notified by this Authority vide Order No.TAMP/49/2015-VPT dated 4 September 2015 in the name of the WQMPL instead of tinkering with Scale of Rates approved in the upfront tariff Order of February 2009.

18.1. In the result, and for the reasons given above, and based on collective application of mind, this Authority approves the cargo handling charge for ten additional cargo items as proposed by the VPT by incorporating the following Schedule 3.1 immediately after the existing schedule 3 Cargo Handling Charges and above the Notes in SOR approved by this Authority vide Order No.TAMP/49/2015-VPT dated 4 September 2015:

(i). Insert the following Schedule 3.1. Cargo Handling Charge for Additional cargo immediately after the existing Schedule 3. Cargo Handling Charges and above the Notes in SOR approved by this Authority vide Order No.TAMP/49/2015-VPT dated 4 September 2015:

**Schedule 3.1.Cargo Handling Charges for Additional cargo**

| Sl. No. | Commodity | Unit | Rate in ` | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Foreign | Coastal |
| (a). | Additional Dry Bulk cargo | Per Metric Tonne | 106.04 | 63.62 |
| (i). | PET Coke | | | |
| (ii). | Granulated blast Furnace Slag | | | |
| (iii). | Aggregates in Bulk | | | |
| (iv). | Boulders | | | |
| (v). | Gypsum | | | |
| (vi). | Limestone | | | |
| (vii). | Bauxite | | | |
| (viii). | Manganese ore | | | |
| (ix). | Fertilisers (finished & raw material) | | | |
| (x). | Fly Ash Bags | Per Metric Tonne | 273.27 | 163.96 |

Note: The handling charge approved in the Schedule 3.1. for the ten additional cargo in the current exercise will automatically cease to apply after the project facility reaches a level of 75% of optimal capacity i.e. 20.87 lakhs tonnes for 2 (two) consecutive years which shall be subject to review by VPT on completion of 5 years from the scheduled project completion date.

18.2. The VPT, being the Licensor Port, is directed to ensure that on completion of period of 5 (five) years from the scheduled project completion date and WQMPL reaches a level of 75% of optimal capacity i.e.20.87 lakhs tonnes for 2 (two) consecutive years, the WQMPL immediately ceases to handle the ten additional cargo for which the handling charge is approved by this Authority based on the proposal of the VPT.

18.3. The VPT is also directed to furnish the quarterly physical performance including the cargo-wise volume handled and financial performance of WQMPL within 15 days on the end of each quarter and annual performance within 2 months at the end of the financial year to this Authority.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.10.25 09:22:26 +05'30'